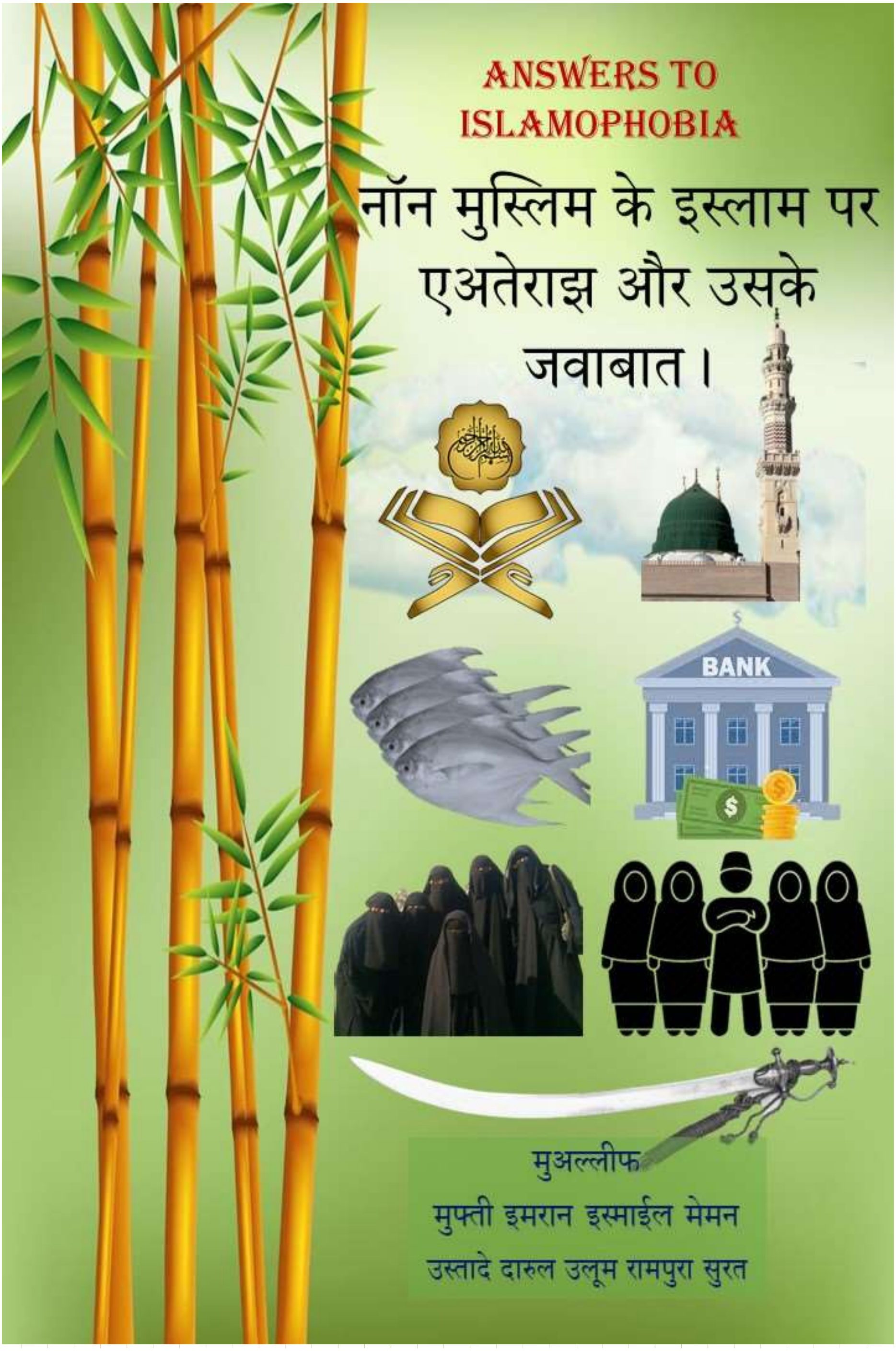
ANSWERS TO
ISLAMOPHOBIA
नॉन मुस्लिम के इस्लाम पर एअतेराझ और उसके जवाबात।
BANK
मुअल्लीफ
मुफ्ती इमरान इस्माईल मेमन
उस्तादे दारुल उलूम रामपुरा सुरत

म्सअला नंबर	फेहरिस्ते मझामीन	पेज नंबर
१	पेश ए लफ्ज	५
२	क़ुरान में दहशत गर्दी और ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने की तालीम के ऐतिराज़ का जवाब।	८
३	क्या क़ुरआन आतंकवाद की तालीम देता है?	१३
४	क्या इस्लाम नया मजहब है? और हिन्दु (सनातन धर्म) मजहब से पुराना है?	२१
५	इस्लाम में कत्लके बदले में कत्ल करने का हुक्म है। इतनी सख्ती क्यूँ है?	२५
६	मर्दों को १ से ज़ियादा निकाह की इजाज़त क्यूं?	२७
७	दूसरा निकाह कब करे?	३१
८	एक से ज़ायद बीवी रखने के उसूल।	३२
९	औरत एक वक़्त में एक से ज़्यादा शादी न करने और इद्दत वाजिब होने की वजह ?	३३

१०	हुज़ुर सल्लल्लाहु अलयही वसल्लम के ११ निकाह करने की वजह।	३८
११	हुज़ूर सल्ललाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत आयशा रदी. से कम उम्र में शादी करने की वजह।	४३
१२	इस्लामने औरत को क्या दिया।	४६
१३	इस्लाम में औरतो और मर्दों के बुनियादी हक बराबर है।	५०
१४	तीन (३) तलाक़ की हिकमत।	५१
१५	तलाक़ कब देना चाहिए?	५४
१६	तीन तलाक़ एक साथ देने का हुक्म।	५६
१७	ईस्लाम में तलाक़ देने जा इख़्तियार औरतों को क्यों नहीं।	५९
१८	३ तलाक़ और हलाल का सुबूत कुरान से।	६२
१९	हलाले की हकीकत।	६४
२०	हलाले की हिकमत।	७१

२१	सहीह और गलत हलाला।	७६
२२	हलाला की सजा औरत को क्यूं ?	७८
२३	औरत का मीरास में आधा हिस्सा क्यों ?	८२
२४	मछली मुर्दार और बगैर ज़बह किये क्यों हलाल है?	८५
२५	सूद (इंटरेस्ट) हराम होने की हिकमतें।	८८
२६	इस्लाम तलवार के ज़ोर से फेला है ?	९४
२७	खतना पर ऐतराज के जवाबात और मेडिकल फायदे।	१०१
२८	चेहरे के परदे का क़ुरान हदीस से सुबूत और फ़ायदा।	१०३
२९	नक़ाब वाले बुर्के और परदह के फायदे।	१०८

पेशे लफ्ज़

अल्हमदुलिल्लाह मसाइल का सिलसिला "आज का सवाल " के उनवान से ८ आठ साल से जारी है इस में तेहवार,हालत और मव्के की मुनासिबत से भी मसाइल आते रहते है। और थोड़ा थोड़ा कर के एक ही मवज़ू पर बहोत से मसाइल को अल्लाह ने जमा करा दिया है। इसी तरह पैगाम व मसाईल के नाम से भी कुर्आन ए करीम की अक्सर आयतों की तफ़सीर लिखने का सिलसिला “ सुरए फातिहा ” से अल्लाह तआला ही की तौफीक से शुरुअ किया था , जो पोने तीन पारे तक, तकरीबन ३०० आयात तक अल्हम्दुलिल्लाह पोंहचा है, और उस के अलावा जो आयतें मवका महल के ऐतिबार से होती है, उस की तफ़सीर भी लिख दी गई है।

मावज़ूअ की तमाम आयतों को घेरना मक़सूद नहीं, उसे में से मसाईल की मुनसबत से आयत का इंतिख़ाब कर के किताब में रख दी गई है, ताकी मसाईल के साथ साथ क़ुरान ए करीम की भी रहनुमाई हसिल हो।

बाज दोस्तों ने खाहिश की के इन मसाइल को पी.डी.एफ. की शकल में जमा कर के शोशयल मीडिया पर आम कर दिया जाए ताके लोगों का फायदा उठाना और फाइदा पहुंचाना आसान हो जाए।

लिहाजा अल्लाह पर तवक्कुल कर के ये काम शुरू कर दिया गया है। अल्हम्दु लिल्लाह।

दुआ फरमाए अल्लाह तआला इस सिलसिले को दिन के हर मवजूअके एअतेबारसे मुकम्मल फरमाए। और बंदे और बंदे वालीदैन, असातीजाह, खुसूसन बंदे के पिरो मुर्शीद हजरत मुफ्ती अहमद खानपूरी दामत बरकातुहुम (ये और तमाम खिदमात आप ही की तवज्जुह और दुआ का नतीजा है।)(अल्लाह तआला आपके साए को हम तमाम पर और उम्मत के हर फर्द पर आफियत के साथ, ता देर काईम रखे) (आमीन सुम्मा आमीन)।

और तरजमे में तावून करने वाले और इस काममे साथ देनेवाले मेरे तमाम दोस्तों के हक में सदह ए जरिया और नजात का जरिया बनाए। (आमीन सुम्मा आमीन)।

अगर किसी को ये रिसाला चपवाना हो, तो उसे छपवाकर नाचीज की तरफ से “ मुफ्त तकसीम करने ” और “ फारोख्त करने” की मुकम्मल इजाजत है।

““““अखीर में नाजीरीन (पढ़ने वालों) से दरखास्त है, के उस में कोई भी गलती मालुम हो या कोई मुफीद मशवरा तो बंदे को खबर करे”””” जजाकल्लाह।

:: अहकर::

इमरान इस्माइल मेमन।

+९१ ९६८७३ ४१४१३

१२ सफरुल मुझफ्फर १४४५ हिजरी

३० अगस्त – २०२३।

♦ क़ुरान में दहशत गर्दी और ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने की तालीम के ऐतिराज़ का जवाब।

🌹 क़ुरआन का पैग़ाम 🌹

أعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيم

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡم

وَاِنۡ اَحَدٌ مِّنَ الۡمُشۡرِكِيۡنَ اسۡتَجَارَكَ فَاَجِرۡهُ حَتّٰى يَسۡمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبۡلِغۡهُ مَاۡمَنَهٗ ؕ ذٰلِكَ

بِاَنَّهُمۡ قَوۡمٌ لَّا يَعۡلَمُوۡنَ ﴿۶﴾

तरजमह

➢ और अगर मुशरीकिन में से कोई शख़्स पनाह मांग कर तुम्हारे पास आना चाहे (ताकि अल्लाह त'आला का कलाम सुने) तो उसे पनाह दे दो यहाँ तक के वो अल्लाह त'आला का कलाम सुन ले। फिर उसे उसकी अमन की जगह तक पोहंचा दो। यह इसलिए करना चाहिए के ये लोग इल्म नहीं रखते ।

तफ़्सीर

इस से मालूम होता हे के इस्लाम की बेहद ख़्वाहिश (चाहत) हे के हर शख़्स हिदायत पाए और सीधे रास्ते पर आ जाए, और मुशरीकिन में से कोई शख़्स दारुल इस्लाम (इस्लामी हुकूमत) में

पनाह तलब करे तो उसे पनाह देना दारुल इस्लाम का फ़र्ज़ हे, क्यूँ के जब मुशरीकिन दारुल इस्लाम में पनाह लेंगे तो फिर वो दारुल इस्लाम के साथ जंग न कर सकेंगे। लिहाज़ा उनको पनाह देना और क़ुरान सुनाना और दीन ए इस्लाम के उसूलों की उनको पेहचान करना मुफ़ीद मतलब हे। मुमकिन हे के इस तरह उनके दिल खुल जायें, वो हिदायात पालें और ईमान क़बूल करलें। अगर वो न भी क़बूल करें तो उसको क़त्ल मत करो, बल्कि अल्लाह त'आला ने दारुल इस्लाम के रहने वालों पर ये फ़र्ज़ कर दिया हे के, कहीं ठिकाने पर अमन की जगह पहोंचा दो, जहाँ पोहंच कर वो महफ़ूज़ व मुत्मइन हो जाए। इस के बाद वो सब काफ़िरों क बराबर है। ये अमन देने का हुकम इस लिए हे के इस्लामी उसूल व सच्चाई से इन लोगों को आगाह नहीं हे, लिहाज़ा उनके सामने हक़ खूब अच्छि तरह वाज़ेह कर देना चाहिये। अगर इसके बाद भी ज़िद से न माने तो

"تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ"

दीन में कोई ज़बर्दस्ती नहीं ।

मुशरिक़ीन के लिए दारुल इस्लाम की ये पनाह गाह दर असल इस्लाम के मक़ामात ए बुलंद से एक बड़ा मक़ाम था। और इसके अलावा भी इस्लाम में एक बुलंद चोटी से आगे दूसरी बुलंद चोटियाँ

और ऊँचाइयाँ नज़र आती हें,ओर उनमे से ये एक निहायत ही बुलंद मक़ाम हे के एक मुसलमान एक मुश्रिक का मुहाफ़िज़ है। वो इस्लाम और मुस्लमानो के दुश्मन का मुहाफ़िज़ है। जिस ने मुसलमान और इस्लाम को सख्त तकलीफ़ें दी हैं और मुश्किलात में मुब्तला किया और यहाँ तक के हिफाज़त की जा रही हे के वो दारुल इस्लाम से बहार किसी महफ़ूज़ मक़ाम पर पोहंचा दिया जाये ये रवादारी (सच्चे सुलूक) का एक निहायत ही बुलन्द मक़ाम हे।

मालूम हुवा के इस्लाम हिदायात का निज़ाम हे और ये नसल ख़त्म करने का निज़ाम नहीं हे। इसका मक़सद सिर्फ ये हे के इस्लाम के लिए एक निहायत ही मामून (इत्मीनान वाला) और महफ़ूज़ मरकज़ का बंदोबस्त करे।

जो लोग इस्लामी निज़ाम के नजरिया इ जिहाद पर ये ऐतिराजत करते हैं के इसके ज़रिये लोगों को ज़बरदस्ती इस्लामी अक़ाइद क़बूल करने पर मजबूर किया जाता है और फिर मुसलमानों में से जो लोग मुस्तशरिक़ीन (आज़ाद ख्याल) लोगों के ये इल्ज़ामात पढ़ते हैं तो वो ख़ाइफ़ हो जाते हैं और हर उन इल्ज़ामात के जवाब में डिफाई (डिफेन्स वाला) अंदाज़ इख़्तियार करते हैं और फिर ये मौक़िफ़(सोच) इख़्तियार कर लेते हैं के इस्लाम तो सिर्फ डिफाई (डिफेन्स) में लड़ता

है और वो दिफ़ाअ भी अपनी रियासती हुदूद के अन्दर करता है। इन दोनों जमाअत यानी इल्ज़ामात लगाने वालों और उनका दिफ़ाअ करने वालों को ज़रा इस्लाम के इस मक़ाम ए बुलन्द पर जा कर दुन्या पर नज़र डालना चाहिए और फिर दोबारा इस आयत को पढ कर गौर करना चाहिये। उन्हें इन्सान की पूरी तारिख पास्ट (नीची) नज़र आएगी ,खाली हाथ नज़र आएगी ।

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَاْمَنَهٗ ۭ ذٰلِكَ

بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٣﴾

"और अगर मुशरीकिन में से कोई शख़्स पनाह मांग कर तुम्हारे पास आना चाहे (ताके अल्लाह तआला का कलाम सुने) तो उसे पनाह दे दो यहाँ तक के वो अल्लाह तआला का कलाम सुन ले। फिर उसे उसके अमन की जगह तक पोहंचा दो। यह इसलिए करना चाहिए के ये लोग इल्म नहीं रखते।"

गोया ये दीन इन लोगों के लिए एक खबरदारी हे जो जानते नहीं हैं। और ये दीन इन लोगों के लिए पनाह की जगह हे जो पनाह चाहते हैं। बलके उन दुश्मनो के लिए भी जिन्होंने इसके खिलाफ तलवार उठायी, इसके खिलाफ जंग कि, और इसके साथ दुष्मनी रखि। इस्लाम जिहाद का झंडा उस वक़्त बुलन्द करता है जब दा'वत

इ इस्लामी और लोगों के दरमियान माद्दी क़ुव्वतें रुकावट बन जाती है, और उनके कान तक दा'अवत पहोंचने में रुकावट डालती है। और कलाम ए इलाही की राह में रुकावट बनती है। हिदायत की राह रोकती है ,नीज़ ये माद्दी क़ुव्वतें लोगों को इन्सान की ग़ुलामी और बन्दगी से रिहा करने के रास्ते में रुकावट होती है, और लोगों को मजबूर करती हैं के वो गैरुल्लाह की बन्दगी करते रहे। और जब इन क़ुव्वतों को तोड़ दिया जाये और ये रुकावटें दा'वत इ इस्लामी के रास्ते से दूर हो जाएँ तो फिर तमाम लोग आज़ाद हो जाते हैं "अपनी राय में आज़ाद है। इस्लाम फिर उन्हें सिर्फ त'आलीम देता हे, न मजबूर करता हे और न खामखाह किसी को क़त्ल करता हे बल्कि उनको पोहंचा देता हे, उनकी हिफाज़त करता हे और फिर उनको उनके अमन की जगह तक पनाह देता है । ये सुलूक बा वुजूद उनके इस तर्ज़ ए अमल के होता हे के वो इस्लामी निज़ाम का इन्कार करते हैं।

इस वक़्त दुन्या में ऐसे निज़ाम और ऐसे तौर तरीक़े चलते हैं जिन्हें खुद इंसानो ने बनाया है।अगर इन्सान के बनाये हुए निज़ामों और तोर तरीक़ों की कोई मुखालफत करे तो उसकी जान महफ़ूज़ नहीं रहेती, न उसका माल महफ़ूज़ रहता हे, न उसकी इज़्ज़त महफ़ूज़

रहेती हे और न उसके दुसरे इन्सानी हुक़ूक़ महफ़ूज़ रहते हैं। बाज़ लोग अमलन ऐसी सूरत ए हाल को दुनिया में अपनी आँखों से देखते हैं और फिर भी इस्लाम के खिलाफ इन बेबुनियाद इल्ज़ामात और उनके जवाब में माज़िरात और तावीलात (दूर का मतलब) बयान करते है, और उनके जवाब में शिकस्त खुरदह (हारी हुई) ज़ेहनीयत, कमज़ोर सोच और तलवार और टॉप के मुक़ाबले में महज़ मा'जिरात और क़लाम को काम में लाते हैं इन आयतों को खुल कर पेश नहीं करते। !

🔰 सुरह ए तौबा। **⭕ आयात - ६।**

📗 फी जिलालील कुर्आन व तफ़्सीर ए उस्मानी ।

والله اعلم بالصواب

♦ क्या क़ुरआन आतंकवाद की तालीम देता है?

<u>अस्सवाल</u>

➢ बाज़ नॉन मुस्लिम भाइयों को ये गलत फ़हमी हुई है और बाज़ लोग इस्लाम दुष्मनी फेला रहे हैं के क़ुरान दहशत गर्दी और ज़ुल्म की तालीम देता है, उस के लिए सुरह इ तौबह की आयत नं।५ का तरजमह अक्सर पेश किया जाता है वह ये है।

- "फिर जब इज़्ज़त वाले महीने गुज़र जाएँ तो मुशरीकिन -बहु देवतावादियों को क़तल करो जहाँ उन को पाओ और उन को पकड़ो और उन को क़ैद करो और तुम उनके लिए हर घाट की जगह में बेठो फिर अगर वह तौबह कर ले और नमाज़ क़ाइम करें और ज़कात दें तो उन का रास्ता छोड़ दो यक़ीनन अल्लाह तआला बख़्शने वाले, निहायत रहम करनेवाले हैं"
- लिहाज़ा इस की क्या हकीकत है?

अलजवाब

حامدا و مصليا و مسلما

किसी भी बात को सहीह तरीक़े से समझने के लिए उस का बैक ग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है, दरमियानसे ऐसी आयत को उठा कर जिस का तअल्लुक़ आगे और पीछे से हो पेष किया जाये तो गलत फेहमी (मिस अंडर स्टैंडिंग) होना यक़ीनी है, ऐसे ही सिर्फ तरजमह देख कर क़ुरान की सब आयत को समझ नहीं सकते हैं और सुरह इ तौबह की इस आयत का तअल्लुक़ पेहली आयत से शुरू होता है और आयत नं ७ पर पूरा होता है, लिहाज़ा उसे तरतीब वार पेष किया जाता है।

بَرَآءَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖٓ اِلَى الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١﴾

तरजमह

अल्लाह तआला और उस के रसूल की तरफ से बरात का (कोम्प्रोमाईज़ ख़त्म करने का) ऐलान (घोसना) है। उन मुशरीकिन (बहु देवतावादियों) की तरफ जिन से तुम ने मुआहदा (एग्रीमेंट) किया था।(आयत १)

मतलब

मुसलमान और क़ुरैश के काफ़िरों के दरमियाँन हुदैबिया (अरब में एक जगह का नाम) में ६ हिजरी की साल में सुलह (कोम्प्रोमाईज़) हुवा था, "हम एक दुसरे पर हमला न करेंगे और एक दुसरे के दुश्मनो को साथ न देंगे" लेकिन इस सुलह की परवाह किये बगैर उन्होंने मुस्लमानो का साथ देनेवाले क़बीले पर हमला करवा दिया, और दुश्मनो को हथियार सप्लाई किये इस तरह वादा (एग्रीमेंट) तोडा और ग़द्दारी की और नुक़्सान पहोंचाने की कोशिश कि, और ऐसी गद्दारी कई बार कर चुके थे, बल्कि मुसलमानो को ख़त्म करने के लिए ३ जंगें उन पर थोपी, २ हिजरी में जंगे बदर, ३ हिजरी में जंगे ऊहद, ५ हिज्री में जंगे खंदक और ऊपर की सुलह हुदेबियाह का वादा भी तोड़ दिया, इसी वजह से मुसलमानो ने मक्का पर हमला किया, ८ हिजरी के साल में बगैर खून खराबा के जीत लिया और वहाँ

इस्लामी हुकूमत क़ाइम हुई तो ऐसे गद्दारों (आतंक वादियों) को मक्का से निकल जाने का ऐलान किया था के अमन और शान्ति बनी रहे ।

فَسِيۡحُوۡا فِى الۡاَرۡضِ اَرۡبَعَةَ اَشۡهُرٍ وَّاعۡلَمُوۡۤا اَنَّكُمۡ غَيۡرُ مُعۡجِزِى اللّٰهِ‌ ۙ وَاَنَّ اللّٰهَ مُخۡزِى الۡكٰفِرِيۡنَ ﴿۲﴾

तरजमह

(मुशरिकों- बहु देवता वादियों) तुम ज़मीन में (आज़ादी से)चलो फिरो चार महीने तक, और तुम जान लो के तुम अल्लाह तआला को आजिज़ (बेबस) नहीं कर सकोगे,ओर ये के अल्लाह तआला काफ़िरों को रुस्वा (अपमानित) करने वाले है।(आयत २)

मतलब

उन गद्दारों को क़तल भी कर सकते थे, जेल में भी डाल सकते थे, लेकिन ४ महीने का टाइम दिया के इस में अपना बंदोबस्त कर लो। ये इस्लाम ही की मेहरबानी है के आतंकवादियों को भागने का मौका भी दिया। बल्के अगर मुसलमान हो जाएँ तो माफ़ी का भी ऐलान निचे की आयत में किया है।

अब आयत नं।३ और ४ को पेश कि जाता है।

وَاَذَانٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖۤ اِلَى النَّاسِ يَوۡمَ الۡحَجِّ الۡاَكۡبَرِ اَنَّ اللّٰهَ بَرِىۡٓءٌ مِّنَ الۡمُشۡرِكِيۡنَ ۙ وَرَسُوۡلُهٗ‌ ؕ فَاِنۡ تُبۡتُمۡ فَهُوَ خَيۡرٌ لَّـكُمۡ‌ ۚ وَاِنۡ تَوَلَّيۡتُمۡ فَاعۡلَمُوۡۤا اَنَّكُمۡ غَيۡرُ مُعۡجِزِى اللّٰهِ‌ ؕ وَبَشِّرِ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا بِعَذَابٍ اَلِيۡمٍ ﴿۳﴾

तरजमह

ओर अल्लाह तआला और उस के रसूल की तरफ से तमाम इन्सानों की तरफ आम ऐलान है के बड़े हज के दिन के अल्लाह तआला बरी (अलग) है मुशरीकिन (बहु देवता वादियों) से और उस का रसूल भी बरी (अलग) है।

फिर अगर तुम तौबा (शमा याचना) करो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर तुम मुंह मोड़ो, तो जान लो के अल्लाह तआला को (भाग कर) तुम आजिज़ (विवश) नहीं कर सकते। और काफ़िरों (अल्लाह तआला का इंकार करने वालों)को दर्दनाक अजाब (दु:ख दाई यातना) की बशारत (शुभ समाचार) सुना दिजिये। (आयत ३)

اِلَّا الَّذِيْنَ عٰهَدْتُّمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوْكُمْ شَيْـًٔا وَّلَمْ يُظَاهِرُوْا عَلَيْكُمْ اَحَدًا فَاَتِمُّوْٓا اِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ اِلٰى مُدَّتِهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ﴿۴﴾

तरजमह

मगर उन को जिन मुशरीकिन (बहु देवता वादियों) से तुम ने मुआहदा (एग्रीमेंट) कर रखा था फिर उन्होंने तुम से किसी चीज़ की कमी नहीं कि, और उन्होंने तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद नहीं की। तो तुम उन के साथ उन के मुआहदा (एग्रीमेंट) को पूरा करो उस

की मुद्दत तक, यक़ीनन अल्लाह तआला मुत्तक़ियों (हुक्म माननेवालों) से मुहब्बत करते है।   (आयत ४)

मतलब

बाज़ इस्लाम दुश्मन शुरूआत की बाज़ आयत पेष करते हैं लेकिन इस आयत को खास तौर पर जान बूझ कर छोड़ देते हैं क्यूँ के इस में उस एक पार्टी का बयान है जिस ने एग्रीमेंट नहीं तोडा और मुसलमान के दुश्मनो की मदद नहीं कि, ता के पता न चल जाये के दूसरी पार्टी ने एग्रीमेंट तोड़ कर गद्दारी की थी और दुश्मन की मदद कर के देशद्रोही होने का काम किया था जिस की वजह से आयत नं ५ आसमान से उतरी।

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِنْ تَابُوْا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٥﴾

तरजमह

फिर जब इज़्ज़त वाले महीने गुज़र जाएँ (जिस में जंग करना इस्लाम में मना था) तो मुशरीकिन -बहु देवतावादियों को क़तल करो जहाँ उन को पावो और उन को पकड़ो और उन को क़ैद करो और तुम के लिए हर घाट के जगा में बेठो फिर अगर वह तौबा कर ले

और नमाज़ पढ़े और ज़कात दें तो उन का रास्ता छोड़ दो यक़ीनन अल्लाह मुआफ करने वाले ,निहायत रहम करनेवाले है।(आयत ५)

मतलब

ये हुक्म सब मुश्रीकीन - बहु देवतावादियों के लिए नहीं है बल्कि उन लोगों के लिए है जो अपने कुफ्र पर बाक़ी रहते हुवे भी इस्लामी हुकूमत के अंदर में रहना नहीं चाहते और ये हुक्म उस वक़्त है के ४ महीने की जो मुहलत दी है वह गुज़र जाये फिर किसी भी दहशतगर्दी- आंतकवादी को छोड़ा नहीं जायेगा ज़ाहिर बात है के ४ महीने जितनी लम्बी मुहलत, इतनी ढील और नरमी के बाद देश के गद्दार आंतकवादी वहाँ से न निकले तो फिर उस को ख़तम करने की जो भी सूरत इख़्तियार की जाये बिलकुल सहीह और इन्साफ़ है । इसको ज़ुल्म केहना गलत और हकीकत से न वाक़फ़ियत है।

وَاِنۡ اَحَدٌ مِّنَ الۡمُشۡرِكِيۡنَ اسۡتَجَارَكَ فَاَجِرۡهُ حَتّٰى يَسۡمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبۡلِغۡهُ مَاۡمَنَهٗ ؕ ذٰ لِكَ
بِاَنَّهُمۡ قَوۡمٌ لَّا يَعۡلَمُوۡنَ ﴿٦﴾

तरजमह

ओर अगर मुशरीकिन में से कोई आप से पनाह तलब करे तो आप उस को पनाह दे दिजिये यहाँ तक के वह अल्लाह के कलाम

को सुने, फीर उस को उस के अमन की जगह तक पहोंचा दिजिये ये इस वजह से के ये ऐसी क़ौम है जो जान्ति नहि।(आयत ६)

मतलब

ये आयत भी जान बूझ कर ऊपर की आयत के साथ नहीं बताइ जाती है क्यूँ के इस में इस्लाम के उसूल न जाननेवालों की रिआयत कर के बताया गया है के आप को क़ुरान और इस्लाम समझना हो तो आप अपने ऐतराजात- मिस अंडरस्टैंडिंग पेष करे, ओर इस्लाम समझ में न आता हो तो कोई ज़बरदस्ती मुस्लमान नहीं बनना पडेगा, न तुम को क़त्ल किया जायेगा बल्कि आप को अमन- जान का खतरा न हो ऐसी जगह या मुल्क तक पहोंचा दिया जायेगा जहाँ आप अपने मज़हब पर अमल कर सकते हो। इस आयत से मालूम हुवा मुसलमान इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन का भी मुहाफ़िज़- पहरेदार है ऐसे दुश्मनों का जिन्होंने उन्हें बहुत तकलीफ दी और अपने वतन मक्का से निकला ऐसे लोगों के साथ भी रवादारी- अच्छे सुलूक की तालीम क़ुरान देता है।

नॉट : ऊपर की तरह क़ुरान में दहशत गर्दी-आंतकवाद की २४ आयतों का जवाब भी समझ लेना चाहिए जिस को क़िताबों में लिखा भी गया है यहाँ हम ने एक नमूना पेष किया है। किसी में

उस के ऊपर निचे की आयतों को और किसी में वह आयत किन हालत और मजबूरियों में नाज़िल हुई है उसे देखा नहीं गया है जिस से गलत फ़हमी- मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है।

📗 २४ आयतें।

📕 फी ज़िलाली क़ुर्आन।

📘 मारिफुल कुरान से माखूज़।

والله اعلم بالصواب

♦ क्या इस्लाम नया मजहब है? और हिन्दु (सनातन धर्म) मजहब से पुराना है?

🌹 **क़ुरआन का पैग़ाम नं : १।** 🌹

أَعوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۪ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ؕ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًۢا بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ؕ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿۲۱۳﴾

तरजमह

- "(पहले)तमाम इनसानों का एक ही मज़हब था फिर (जब अक़ाइदो आमाल में खराबियाँ आयी)तो अल्लाह ने (एक एक कर के ज़रूरत के मुवाफ़िक़ वक़्फ़े से) नबियों को भेजता रहा ताके वह (इमान और आमाल को इख़्तियार करनेवालों को सवाब और ज़न्नत की) बशारत देनेवाले हो और (कुफ़्र और गुनाह करनेवालों को गुनाह और जहन्नम से) डरानेवाले हो। और अल्लाह उन नबीयों के साथ किताब, हक़ (की रहनुमाई करने के) के लिए नाज़िल की ताके जब उन क़ौमों में (अक़ाइद,नज़रिये,सोक और इमानि आमाल) के बारे में हक़ और बातिल का इख्तिलाफ हो तो उन के दरमियान फैसला करे।और (अक़ाइद और नज़रिये के बारे में) इख्तिलाफ उन ही लोगों ने किया जिन को किताब दी गई(उन के उलामा और खवास ने माल और इज़्ज़त,ओहदे की मुहब्बत में इख्तिलाफ किया वर्ना एवं तो उन की देखा देखि उन के ताबे'अ होते है) और ये इख्तिलाफ उन का आपस की जिद्दा ज़िद्दी की वजह से था(उस का सबब हक़ वाज़िह न होना और जहालत नहीं था बल्कि हक़ और दलाइल खुलकर सामने होने के बावजूद दुन्या की मुहब्बत में था जिस का ज़िक्र ऊपर की आयत में भी आया

है) ऐसे हालात में कुफ्फार का ये इख्तिलाफ कभी ईमानवालों को नुक़्सान करनेवाला नहीं हो बल्कि अल्लाह ने अक़ाइद में इख्तिलाफ करनेवालों को हिदायात दी अपने हुक्म से (किताब और नबीयों पर इमान लाने की बरकत से उस की रहनुमाई से और) अपने हुक्म से अल्लाह जिसे चाहता है सीधे रास्ते की हिदायात देता है।"

तफ़्सीर

ऊपर की आयत से मालूम हुवा के इस्लाम सब से पुराना मज़हब है उस के मानने वाले हज़रत आदम और हव्वा अलैहिमुस सलाम थे जो दुन्या के सब से पहले इन्सान थे उन का और उन की अवलाद दर अवलाद का दीन यही तौहीद और रिसालत और आख़िरत वाला दीने इस्लाम था जो हज़रत इदरीस अ।स्। तक दस साडी यानि एक हज़ार साल तक रहा फिर नूह अ।स्।के ज़माने में शिर्क और बुत परस्ती-मूर्ति पूजा शुरूआत हुई और इख्तिलाफ पैदा हुवा फिर कुफ्फार और मुशरीकिन नूह अ।स्।की बद दुआ से पानी के तूफ़ान से हलक किया और नूह अ।स्।की कस्ति में बेठनेवाले सब ईमानवाले बच गए इसतरह वापस सब इस्लाम के मज़हब और मसलक पर एक हो गए।

गैर मुस्लिमों को हमारी हिजरी तारीख देखकर ये धोका लगा है के सब से प्राचीन-पुराना हमारा मज़हब है इस्लाम तो नया मज़हब है जो हमारे आबाओ अजदाद को मूर्ति पूजा से हठाकर फेला है ये बात गलत साबित हुई।

ओर कुफ्र और शिर्क और उस के नज़रियात एक बीमारी है जिस के इलाज के लिए अल्लाह नबीयों और उन के साथ किताब को भेजते रहे फिर अलग अलग दवाई और इलाज के बजाये रूह को तंदुरस्त रखने के लिए आखीर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा क़ुरान और हदीस की ऐसी दवाई लेकर जो हर बीमारी में मुफ़ीद हो और जिसम को तंदुरस्त रखे अब किसी नबी और किताब की ज़रूरत नहि।आपास में इख्तिलाफ ख़तम करने के लिए क़ुरान और उस की तशरीह हदीस हमें काफी है उसी को थामे जहाँ उलामा की बातें तकराये वहाँ अक़ाइद जो हमारे इमान की बुनियाद है उसे सहीह करने क़ुरान को देखे।

📔 **सुरह ए बक़रह ।** ⭕ **आयात - २१३।**

📗 **तफ़्सीर ए मारीफुल क़ुरान,आसान तफ़सीर और उस्मानी से माखूज।**

والله اعلم بالصواب

♦ इस्लाम में कत्लके बदले में कत्ल करने का हुक्म है। इतनी सख्ती क्यूँ है?

🌹 क़ुरआन का पैग़ाम नं : १। 🌹

أعوذُبِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيم

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

وَلَكُمۡ فِى الۡقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰۤاُولِى الۡاَلۡبَابِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُوۡنَ ﴿۱۷۹﴾

तरजमह

➢ "तुम्हारे लिए क़िसास-क़त्ल का बदला क़त्ल , में बड़ी ज़िन्दगी है ऐ अक़लमनदो ताके तुम (इस की खिलाफ वर्ज़ी करने से)बचते रहो ।"

तफ़्सीर

किसास यानि खून के बदले में खून करना ।

मतलब यह है क़ातिल को जिस का क़तल किया गया है उसके घर वाले बदले में क़तल करें तो एक आदमी के क़तल होने की सूरत में बदला लेने के लिए क़ातिल के घर के एक आदमी को गुस्से में क़तल किया जाता था लेकिन शरी'अत ने यह हुक्म दिया के जिस आदमी ने क़त्ल किया है सिर्फ उसी को क़त्ल किया जाए जब यह

सजा दी जायेगी तो क़त्ल करने वाले को इस बात का ख़ौफ़ होगा मैं किसी को क़त्ल करूँगा तो बदले में मुझे भी क़त्ल किया जाएगा इस तरह समाज में खून खराबा और मर्डर का सिलसिला बंद होगा । बज़ाहिर इसमें ऐसा मालूम होता है एक आदमी का क़त्ल हुआ तो उसके बदले में दूसरे आदमी का भी क़त्ल करेंगे तो कुल दो आदमी मारे जाऐंगे लेकिन इस से इबरत होगी और आइन्दा लोगों को क़त्ल करने की हिम्मत न होगी इस तरह क़िसास यानि बदला लेने में लोगों की ज़िन्दगी महफ़ूज़ होने के ज़रियाः छुपा हुवा है।

एक दुसरी तफ़्सीर यह है क़तल करने वाले को सजा में क़त्ल होने की वजह से, आख़िरत की ज़िन्दगी इस तौबा से बेहतर हो जाएगी।

لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُوۡنَ

जो तुमको इस सजा की मस्लिहत मालूम हो गई है तो अब इस सजा की मुखालिफत करने से बचते रहो यह क़त्ल हो जाने के डर से क़त्ल करने से बचते रहो ।

पहले लोग इस्लाम की क़त्ल की सजा को ज़ालिमाना और वेह्शियना कहते थे लेकिन जब रैप-इज़्ज़त दरी और क़त्ल का सिलसिला बढ़ा तो अब लोग इज्तिमाई तौर पर इस बात को चिल्ला

- चिल्ला कर केहने लगे के ऐसे को ज़ाहिर में फाँसी दी जाये । इस्लामी हुकूमत में जुमआ के छुटटी के दिन में सब के सामने फाँसी दी जाती है ता के हर एक इस जुर्म का अन्जाम अपनी आँखों से देख ले । लिहाज़ा इंडिया की हुकूमत भी इतवार के छुटटी के दिन में बड़े मैदान में सब के सामने उस का लाइव दिखाकर फांसी दे तो मर्डर होने का सिलसिला बध हो जायेगा

मसला - किताल करने की इस्लामी हुकूमत हो तो उसके हाकिम या उसके नाईब ही को इजाज़त है हर एक को अपनी मर्ज़ी से इस तरह बदला लेने की इजाजत नहीं के बदला कब वाजिब होता है इसके मसाइल बारीक़ है।

🔰 **सुरह ए बकरह।** ⭕ **आयत - १७९ ।**

📗 **मा'रुफुल क़ुरान,तफ़्सीरे उस्मानि, आसान तफ़्सीर से माखूज।**

واللہ اعلم بالصواب

♦ मर्दों को १ से ज़ियादा निकाह की इजाज़त क्यूं?

अस्सवाल

➢ इस्लाम में मर्द को एक से ज़ियादा निकाह की इजाज़त क्यूँ है ?

अलजवाब

حامدا و مصلیا و مسلما

इस्लाम में मर्द को एक से ज़ियादह निकाह की इजाज़त होने की बहोत सी वुजूहात है, जिस में कुछ हसबे ज़ेल है।

१। इस्लाम दीन पुरे आलम के लिए है, बाज़ इलाक़ों की आबोहवा, गिज़ा, माहोल, जिसमानी सिह्हत, ऐसी होती है के रोज़ानह या कम से कम हर हफ्ते सोहबत-हमबिस्तरी ज़रूरी होती है, ता के ज़िना-बदकारी से हिफाज़त हो। क्यूँ के कुदरत ने बाज़ इनसानों में ज़ियादह शहवत रखी होती है, उन को एक औरत काफी नहीं होती।

२। औरत हर वक़्त इस क़ाबिल नहीं के उस से सोहबत की जा सके, हर महीने में कुछ दिन हैज़ के ऐसे होते है जिस में सोहबत करना हराम है, और बाज़ मर्तबा औरत हमल से होती है, तो उसके आखिरी महीने ऐसे होते है के उस में बच्चे और अपनी सिहत की हिफाज़त के लिए हमबिस्तरी करने से पर्हेज़ ज़रूरी होता है, ऐसे वक़्त में सिर्फ एक ही बीवी हो तो कवि शहवत वाला मर्द अपनी इस जिस्मानी ज़रुरत को कैसे पूरी करेगा ? ज़ाहिर बात है के उसे पूरा करने के लिए दूसरी औरतों से ना जाइज़ ताल्लुक़ात क़ाइम करेगा और अपनी और दूसरों की ज़िन्दगी तबाह करेंगा। अगरचे बाज़ हज़रात ऐसे वक़्त में भी शहवत पर कण्ट्रोल राख सकते है, लेकिन ज़ियादह

कवि शहवत वाले लोग ज़िना और बदकारी में मुब्तला हो जाते है, इस्लाम में नेकी करने के मुक़ाबला में तक़्वा यानि गुनाह से बचना मुक़द्दम और ज़ियादह ज़रूरी है, लिहाज़ा ऐसे हज़रात के लिए एक से ज़यादह बीवी से निकाह अलावह कोई इलाज नहीं है, कोई अक़्लमंद आदमी इस ज़रुरत से इंकार नहीं कर सकता।

३। इस की तीसरी वजह ये है के हर मुल्क में औरत जल्द बूढ़ी हो जाती है और मर्द की ताक़त बूढ़ापे में भी अक्सर सलामत रहती है,

और अगर बुढापे में दूसरी बीवी की ज़रुरत हो उसके बावजूद उस को दूसरी शादी की इजाज़त न दी जाये ऐसा क़ानून बनाया जाये तो वह क़ानून ज़िना-बदकारी का रास्ता बतायेगा,

ऐसा क़ानून इनसानों की हालत के मुताबिक़ कैसे हो सकता है !?

४। बाज़ मर्तबा औरतों को ऐसी मजबूरियाँ आ जाती है के उनके लिए ये रास्ता खुला न रखा जाये के वह ऐसे मरदों से निकाह कर ले जिनके घरों में पहली औरतें मव्जूद हो तो उस का नतीजा ज़िना और बदकारी होगा।

एक ही बात पर गौर करें के हर साल किसी न किसी मुल्क में लाखों मरदों की जाने लड़ाई और जंग में जाती है और औरतें बिलकुल

महफ़ूज़ रहती है, ऐसे वाक़िआत हमेशा होते रहे है, और मुख़्तलिफ़ कौमें आबाद होने की वजह से होते रहेंगे ?

और हमेशा अक्सर मुल्क़ों में औरतों की तादाद मरदों के मुक़ाबला में बढती रहेगी तो इन औरतों का कभी सोचा है ?

इनकी फितरी क़ुदरती जिस्मानी खवाहिश कैसे पूरी होगी ? क्या एक से ज़यादह निकाह पर रोक लगाने वाले इन औरतों के हुक़ूक़ बरबाद नहीं करना चाहते !?

५। बाज़ मर्तबा औरत के हर तरह के इलाज़ के बावजूद औलाद नहीं होती, या कोई ऐसी बीमारी होती है जिससे वह सोहबत के काबिल नहीं रहती, तो उस वकत उसको तलाक़ देकर बेसहारा करने से बेहतर है के उसके होते हुवे दुसरा निकाह किया जाए।

अफसोस है एक गलत उसूल की तरफ़दारी में औरतों की इन ज़रूरतों का एक लम्हे के लिए नहीं सोचते !

📗 **अहकामे इस्लाम अक़्ल की नज़र में।**

सफ़ा १९४ और १९५ का खुलासा।

واللہ اعلم بالصواب

♦ दूसरा निकाह कब करे?

अस्सवाल

➢ किन हालात में दूसरा निकाह करना चाहिए ?

अलजवाब

حامدا و مصليا و مسلما

अल्लाह तआला का इरशाद है,

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

"अगर तुम को इस का खौफ हो के इन्साफ़ न कर सकोगे तो एक ही पर बस करो"

ईस से मालूम हुवा के एक से ज़्यादा निकाह करना उसी सुरत में जाइज़ और मुनासिब है जब के शरीअत के मुताबिक़ सब बीवीयों में बराबरी कर सके, और सब के हुक़ूक़ का लिहाज़ रख सके। अगर इस पर क़ुदरत न हो तो एक ही बीवी रखी जाए।

अगर चे क़ुरआने करीम ने चार औरतों तक निकाह में रखने की इजाज़त दे दी, ओर इस हद के अन्दर जो निकाह किये जायेंगे वह सहीह और जाइज़ होंगे, लेकिन कई बीवियाँ होने की सुरत में उस में इन्साफ़ और बराबरी क़ाइम रखना वाजिब है, और उस के खिलाफ करना बहुत ही बड़ा गुनाह है।

इसलिए जब एक से ज्यादा बीवी रखने का इरादा करो तो पहले अपने हालात का जाइज़ाह लो, के सब के हुक़ूक़ इन्साफ़ और बराबरी के साथ पूरा करने की क़ुदरत और ताक़त भी है या नहीं ?

अगर ये एहतिमाल-इमकान- ग़ालिब हो के इन्साफ़ और बराबरी क़ाइम न राख सकोगे तो एक से ज़्यादा निकाह की तरफ कदम बढ़ाना अपने आप को एक अज़ीम-बहुत ही बड़े गुनाह में मुब्तला करने का क़दम बढ़ाना है, इस से दूर रेहना चाहिए, और उस हालात में सिर्फ एक ही बीवी पर बस करना चाहिये।

📕 **मारीफुल क़ुरान २/२९४।**

📗 **महमूदुल फ़तवा ५/३८४।**

والله اعلم بالصواب

♦ एक से ज़ायद बीवी रखने के उसूल।

अस्सवाल

- जिस की कई बीवियाँ हो तो उस के लिए हर चीज़ में बराबरी ज़रूरी है?
- नयी और पुरानी में कुछ फ़र्क़ कर सकते हैं?

अलजवाब

حامدا و مصليا و مسلما

जिस की कई बीवियाँ हो तो उस मर्द पर वाजिब है के सब को बराबर रखे, जितना एक औरत को दिया है दूसरी भी इतने की दावेदार हो सकती है चाहे दोनों कुंवारी हो या दोनों तलाक़ शुदा हो या एक कुंवारी हो दूसरी तलाक़ शुदा हो। सब का एक हुक्म है। अगर एक के पास एक रात रहा तो दूसरी के पास भी एक रात रहे, एक के पास दो रात या तीन रातें रहा तो दूसरी के पास भी २ या ३ रातें रहे अल्बत्ताह सुहबत में बराबरी वाजिब नहीं के अगर एक की बारी में सुहबत की है तो दूसरी की बारी में भी सुहबत करे ये ज़रूरी नहीं (ये तबीअत के मिलान और निशात-चुसति,मुड पर मवकूफ है) ।जितना माल , कपडे उसको दिए उतने ही की दूसरी औरत भी दावेदार है।

दरसी बहेशती ज़ेवर सफा ३६२ से माखूज।

والله اعلم بالصواب

♦ औरत एक वक़्त में एक से ज़्यादा शादी न करने और इद्दत वाजिब होने की वजह ?

<u>अस्सवाल</u>

➢ इस्लाम में औरत को एक ही शादी की इजाज़त दी है, और मर्द को चार शादी की इजाज़त दी है, औरत के साथ ऐसी नाइन्साफी क्यों ?

- और शौहर के तलाक देने या उसकी मौत के बाद इद्दत पूरी किये बगैर दूसरा निकाह क्यों नही कर सकती ?

अलजवाब

حامدا و مصليا و مسلما

इसकी बहोत सी वुज़ूहात है,

जिस में से एक वजह नीचे दिए गए वाक़िये से मालूम होगी वाक़िया पेश किया जाता है।

सायन्स के डायरे में क़ुरानी मो'अजिज़ात की एक झलक

एक माहिर जिनीन, यहूदी (जो दीनी आलिम भी था) खुले तौर पर कहता है के रूए ज़मींन पर मुस्लमान खातून से ज़्यादा पाक बाज़ और साफ़ सुथरी किसी भी मज़हब की खातून नहीं है।

पुरा वाक़िया यूँ है के

अल्बर्ट आइंस्टीन इंस्टीटूट से तअल्लुक़ रखने वाला एक माहिरे जिनींन (हमल की जाँच का माहिर) यहूदी पेश्वा रोबर्ट ने अपने इस्लाम क़ुबूल करने का एलान किया, जिसकी वाहिद वजह यह बनी के क़ुरान में मज़कूर मुतल्लक़ा (तलाक़ शुदा औरत) की इद्दत के हुक्म से वाक़फ़ियात और इद्दत के लिए तीन महीने का जो वक़्त दिया गया है उसके पीछे की हिक्मत।

अल्लाह का फर्मान है

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ البقرة : ٢٢٨

"मुतल्लक़ा अपने आप को तीन हैज़-मासिक तक रोके रखे"

इस आयत ने डी.एन.ए के रिसर्च में एक अजीब जानकारी हासिल करने का रास्ता खोला, और यह पता चला के मर्द की मनि (स्पर्म) में प्रोटीन दूसरे मर्द के मुक़ाबले ६२% परसेंट अलग होता है। और औरत का जिस्म एक कंप्यूटर की तरह है, जब कोई मर्द हम बिस्तरी/सोहबत करता है तो औरत का जिस्म मर्द के बैक्टिरिया को जज़्ब (सेव) कर लेता है।

इस लिए तलाक़ के फ़ौरन बाद अगर औरत किसी दूसरे मर्द से शादी कर ले या फिर एक वक़्त में कई लोगो के साथ जिस्मानी तअल्लुक़ क़ाइम रखे तो इसके बदन/जिस्म में कई डी.एन.ए की प्रिंट/छाप बेक्टेरिआ की शक्ल में जमा हो जाते है, जो खतरनाक वायरस बन जाते है, और जिस्म के अंदर जान लेवा बीमारिया पैदा होने का सबब बनती है। साइंस ने पता लगाया के तलाक़ के बाद एक हैज़/मासिक गुज़रने से ३२% से ३५% परसेंट तक प्रोटीन ख़त्म हो जाते है,

ओर दूसरे हैज़ आने से ६७% से ७२% तक मर्द के डी.एन.ए की छाप कम हो जाती है,

ओर तीसरे हैज़ में ९९.९% का खत्म हो जाता है और फिर औरत का जिस्म बाक़ी डी.एन.ए के असर से बिलकुल पाक हो जाता है।

ओर बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट व् नुक़सान के नए डी.एन.ए की प्रिंट क़ुबूल करने के लिए तैयार हो जाता है।

एक तवायफ / कॉल गर्ल कई लोगो से तअल्लुक़ बनाती है। जिसकी वजह से उसके जिस्म में अलग अलग मर्दो की मनि (स्पर्म) चली जाती है और जिस्म में अलग अलग डीएनए की छाप जमा हो जाती है, और इसके नतीजे में वह कई बड़ी बड़ी बीमारियो की शिकार हो जाती है।

ओर रही बात इन्तिक़ाल हुए मर्द की बेवा की इद्दत तो इसकी इद्दत तलाक़ शुदा औरत से ज़्यादा है, क्युंके गम टेंशन की वजह से पिछले डीएनए का असर जल्दी ख़त्म नहीं होता और इसे ख़त्म होने के लिए पहले से ज़्यादा वक़्त चाहिए होता है । इसी की रिआयत करते हुए ऐसी औरत के लिए चार महीने और दस दिन की इद्दत रखी गयी है, फ़रमाने इलाही है ।

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّ عَشْرًا ﴿البقرة : ٢٣٤﴾

"और तुम में से जिसकी वफ़ात हो जाये और अपनी बीवियाँ छोडे तो चाहिए के वह चार महीने दस दिन अपने आप को रोके रखे"

इस हक़ीक़त से राह पाकर एक माहिर डॉक्टर ने अमेरिका के दो अलग अलग इलाक़ो में तहक़ीक़ की, एक मोहल्ला जहाँ अफ़्रीकन पाबंद मुस्लमान रहेते है वहां की तमाम औरतो में सिर्फ एक शोहर ही का डीएनए का असर पाया गया, जब के दूसरे मोहल्ले जहाँ असल अमेरिकन आज़ाद औरते रहेती है इन्मे एक से ज़्यादा दो तीन लोगो तक के डीएनए का असर पया गया। जब डॉक्टर ने खुद अपनी बीवी का ब्लड टेस्ट किया तो चोंका देने वाली हक़ीक़त सामने आयी के इसकी बीवी में तीन अलग अलग लोगो के डीएनए पाये गये, जिसका मतलब यह था के इसकी बीवी इसे धोका दे रही थी, और यह के इसके तीन बच्चो में से सिर्फ एक इसका अपना बच्चा है।

इसके बाद डॉक्टर पूरी तरह काइल हो गया के सिर्फ इस्लाम ही वह दिन है जो औरतो की हिफाज़त और समाज की पाकीज़गी की ज़मानत-गेरेंटी देता है। और इस बात की भी के मुस्लमान औरते दुनिया की सबसे साफ़ सुथरी पाक दामन व् पाक बाज़ होती है।

मुसलमान इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे।

والله اعلم بالصواب

♦ हुज़ुर सल्लल्लाहु अलयही वसल्लम के ११ निकाह करने की वजह।

अस्सवाल

➢ हुज़ुर सल्लल्लाहु अलयही वसल्लम ने ११ निकाह क्युं कीये ?

अलजवाब

حامدا و مصليا و مسلما

एक मर्द के लीये बहोत सी बीवीयाँ रखना इस्लाम से पेहले तकरीबन दुनिया के तमाम मज़हब में जाईज़ था।

हिन्दुस्तान, ईरान, मिसर्, युनान, काबुल वगैरह मूल्को की हर कौम में कसरत से सदीयों की रस्म जारी थी, और उस की फितरी ज़रुरतों से आज भी कोइ इन्कार नहीं कर सकता।

कृष्ण जो हिंदुओं में बडे वाजीबुत्त ताज़िम (आदरणीय) माने जाते है उन्की सैंकडो बीवीयाँ थी,

गूगल पर सर्च कर के देखा तो लिखा है के उन की १६१०८ सोलह हज़ार एक सौ आठ पत्नियाँ थी ।

जो लोग ऐतराज़ करते है वह अपने मज़हब में भी झाँक कर देख ले तो कभी दुसरों के मज़हब के पेश्वा पर ऊंगली नहीं उठाएंगे।

मनुजी जो हिन्दुओं और आर्यों में सब के नज़दीक पैशवा और बुज़ुर्ग माने जाते है, घर्म शास्त्र में लीखते हैं के:

"अगर एक आदमी की चार पाँच औरते हों और उन में से एक साहिबे औलाद (बच्चो वाली) हो तो बाकी भी साहिबे औलाद केहलाती है।

मनु अध्याय ९ श्लोक १८३।

हुज़ुर सल्लल्लाहु अलयही वसल्लम ने 11 औरतों से निकाह किया इस्की मस्लीहतें और हिकमतैं है,

१. नबी सल्लल्लाहु अलयही वसल्लम का हर अमल उम्मते मुस्लीमह के लीये दस्तुर, कानून, सबक की हैसीयत रखता है, इसलीये आप सल्लल्लाहु अलयही वसल्लम की ज़ीन्दगी का हर पहलु उम्मत के सामने अल्लाह को लाना था और अन्दर की ज़ीन्दगी के हालात, जैसे की तन्हाई की ईबादत की मशक्कत (बंदगी और मेहनत) और शौक उम्मत के सामने लाना था।

२. मुख्तलीफ उम्र और मुख्तलीफ खानदान और मुख्तलीफ मीजाज़ की औरतों के साथ सादगी से निकाह करने का

ईन्सानो को तरीकह मालूम हो, हुज़ुर सल्लल्लाहु अलयही वसल्लम को मालुम था के लोग खान्दानी रिवाज की वजह से निकाह में बहोत खर्च करेंगे उन्के लीये सादगी के नमुने पैश किये।

३. ऐसी मुख्तलीफ औरतों के साथ रेहने का, उन्की तरबीयत करने का, उन्को बरदाश्त करने का, उन्के सामने अख्लाक़ पैश करने का तरीक़ह उम्मत को मालुम हो।

४. घर की चार दिवारी जहां कोइ देखने वाला नहीं होता और ईन्सान अपने बीवी-बच्चो से बेतकल्लुफ होता है फीर भी उन्के साथ हुस्ने सुलुक की पुरी अदायगी का तरीक़ह उम्मत के सामने आए।

५. बीवी के साथ तन्हाई के मसाइल जीसको बीवी ही देख सकती है वोह भी उम्मत तक पहोंचाने वाली कसरत से हो।

६. औरतों की पाकी-नापाकी के मसाईल 👉 जीसे गैर महरम (पराइ) औरतें पूछने में शर्म करती हैं बीवीयों के ज़रीये उम्मत तक पहोंच जाए।

७. ऐसी औरतों को मदद करने के लीये और उन्के गम दूर करने के लीये जीन्के शौहर (पति) लडाई में शहीद कर दीये गए और वोह बे-सरोसामान रेह गइ तो उन्की दिलदारी और सहारा देने के लीए।

८. मुख्तलीफ कौमो के लोगों की मुसलमानों के साथ लडाई थी और वोह दूश्मनी रखते थे, उन्के साथ अच्छे तअल्लुकात और रीश्तेदीरी काईम हो जाए,

कयुंकी निकाह की वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलयही वसल्लम उन्के रिश्तेदार बन जाए और उन्के दुश्मन दोस्त हो जाए, और खुन-खराबा रुक जाए वगैरह।

आप सल्लल्लाहु अलयही वसल्लम ने सब से पेहला निकाह २५ साल की उम्र में एक ४० साल की बुढी बेवा हज़रत खदीजा रदि. से किया, जो दो शौहरों के निकाह में रेह चुकी थी, दोनो से औलाद भी थी, दो लडकों और तीन लडकीयों की इस तरह ५ बच्चों की माँ थीं. येह निकाह की दर्खवास्त खुद हज़रत खदीजा रदी. की जानिब से थी।

जीसको बारगाहे नुबुव्वत में रद्द-मना न किया गया और निकाह कर के अपनी उम्र के २५ साल उन्ही के साथ गुज़ारे, और सब औलाद भी उन्से हूइ।

जब उम्रे शरीफ़ ५० साल से भी आगे बढ गइ तब बाकी दस निकाह शरई ज़रुरतों की वजह से मुख्तलीफ हालात में कीए गए,

येह सब की सब बीवीयाँ हज़रत आईशह रद़ी. के सिवाय बेवा थी, और बाज़ औलाद वाली थी, और सब औरतें आप सल्लल्लाहु अलयही वसल्लम के निकाह में खुश थी, और सुखी थी।

इन सब बातों को देखकर कोइ सहीह अक्ल रखने वाला आसानी येह फैसला कर सकता है कि येह तमाम निकाह (अल्लाह की पनाह) नफसानी ख्वाहीशात पुरी करने के लीये नहीं थे।

जब हज़रत खदीजह रदी. का इन्तीकाल हुआ उस वकत लाखो लोग इस्लाम में दाखील हो चुके थे, खूबसुरत से खूबसुरत और तमाम कुंवारी औरतें नबी सल्लल्लाहु अलयही वसल्लम के निकाह में आने को फखर् और दुनीया आखिरत में कामीयाबी समजती थी, फीर भी आप सल्लल्लाहु अलयही वसल्लम ने ईस्लामी फायदह के लीये बेवाओं से निकाह किया।

हुज़ुर सल्लल्लाहु अलयही वसल्लम को जान से मारने की और हर तरह से बदनाम करने की मुशरीकीन और यहुदीयों ने कोशीश की, बहुत से इल्ज़ामात लगाए, नबी सल्लल्लाहु अलयही वसल्लम को जादुगर, पागल, शाईर कहा गया, लेकिन इन सब निकाहों को देखकर कीसी ने भी नबी सल्लल्लाहु अलयही वसल्लम को (अल्लाह की पनाह) शहवत परस्त वगैरह इस लाइन के बूरे अल्काब कीसी ने भी

नहीं दिये, कयुंके हुज़ुर सल्लल्लाहु अलयही वसल्लम की पाकीज़ह पाकदामनी वाली पुरी ज़ींदगी उन्के सामने थी।

📗 **सिरते खातमुल अम्बीया।**

📘 **सिरते मूस्तफा से माखुज़ हज़्फो ईज़ाफे के साथ।**

واللہ اعلم بالصواب

♦ हुज़ूर सल्ललाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत आयशा रदी. से कम उम्र में शादी करने की वजह।

अस्सवाल

➢ गैर मुस्लीम लोगों कि तरफ से यह ऐतिराज़ कीया जाता है के हुज़ुर सल्लल्लाहु अलयही वसल्लम ने हज़.आइशा रदीयल्लाहु अन्हा से जीन की उम्र सिर्फ 6 सील थी जो बेटी की उम्र है उन्से इस उम्र में निकाह क्युं किया ?

अलजवाब

حامدا و مصلیا و مسلما

निकाह 6 साल की उम्र हुआ लैकिन रुख्सती(बीदाई) 9 साल की उम्र (गर्म मुल्को में बालीग की- पक्की उम्र वाली होने कि उम्र) में हुई थी,अरब में बडी उम्र वाले का छोटी उम्र वाले से निकाह करना

आम था, कोइ तअज्जुब की चीज़ ही नहीं थी इसलीये कुफ्फार और यहुदीयों ने नबी सल्लल्लाहु अलयही वसल्लम पर बहोत से ऐतिराज़ - इश्काल किये और नबी सल्लल्लाहु अलयही वसल्लम को (अल्लाह की पनाह) बुरे अल्काब जैसे कि जादुगर, दिवाना झूठा वगैरह कहा लैकिन आज- कल के काफिरों ने जिन लकब का ईस्तेमाल किया वोह किसी ने नहीं किया, इस कम उम्र की शादी की असल वजह नुबुव्वत और खिलाफत (नबी की जगा संभालने का ओहदा) के दरमीयान तअल्लुक की मज़बुती थी, क्योंकि नबी ए करीम सल्लल्लाहु अलयही वसल्लम के बाद खिलाफत का सिलसिला अल्लाह को हज़रत अबुबक्र रदी.से चलाना था और हज़रत आईशा हज़रत अबुबक्र रदीअल्ल्लाहु अन्हु की बेटी थी खिलाफत को नबी के घराने से जोडना मकसुद था , ईसलिये इन कि बेटी से निकाह किया ओर इस्लाम मे क़ायदा है के माँ बाप बचपन में निकाह कराये तो लड़की को बालिग होने के बाद सिर्फ ज़बान से केहकर निकाह तोड़ने का इख़्तियार- इजाज़त होती है हज़रात आइशा रदी.ने उस निकाह को ख़ुशी और फख्र (गर्व) के साथ बाकी रखा और पूरी ज़िन्दगी इस पर फख्र करती रही ।

अरब की गर्म (होट) आबोहवा ईन्सानी बदन को बढाने (डेवलपमेन्ट) में ईम्पोर्टन्ट -खास रोल अदा करती है और दुसरी बात येह अल्लाह तआला कुछ लोगों को हाइट-बोडी उम्र और दिमाग (ब्रेइन) पावर एबीलीटी दुसरे लोगों से बढ कर देता है.अल्लाह तो बहोत बडा है अगर वोह किसी बात का हूक्म दे और छोटी लड़की से बडी से बडी उम्र की लडकी का काम लेना चाहे तो वोह काम हो जाता है । और काम लिया भी । औरतो में सब से ज़्यादा इस्लाम के क़ानून की जाननेवाली मुफ्तिया थी बड़े बडे सहाबा इन से मसअला पूछते थे ।

ऐतराज करने वालों को इल्जामी जवाब ये है के तुलसीदास की रामायण में है के सीताजी की ९ साल नहीं बल्के सिर्फ ६ साल की थी और श्री राम की उम्र १५ साल थी, गूगल और यूट्यूब पर तलाश करेंगे तो ये बात मिलेगी, हिंदुओं के पंडित जगद्गुरु रामस्वरूप प्राचार्य जी महाराज का विडियो है उसे देख लिया जाए।

लेकिन ये सचाई वोह लोग नहीं मानते जिन के दिलों पर मुहर:सील लगा दीया गया है.

अल्लाह तआला कुर्आन में इर्शाद फरमाते है के,

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوۡبِهِمۡ وَعَلٰى سَمۡعِهِمۡ‌ؕ وَعَلٰٓى اَبۡصَارِهِمۡ غِشَاوَةٌ وَّلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيۡمٌ

﴿البقرة : ٧﴾

"अल्लाह ने इन (कुफ्फार) के दिलों और उन्के कानों पर मुहर:सील लगा दी है और उन्की आँखो पर परदह पड़ गया है (इस्लिये उनकी समज़ में नहीं आता) वोह सख्त अज़ाब के मुस्तहिक (लायक) हैं ।

सूरह ऐ बकरह आयत-७ ।

सीरत खातमुल अंबिया, अशरफुल जवाब वगेरह

واللہ اعلم بالصواب

♦ इस्लामने औरत को क्या दिया।

अस्सवाल

➢ इस्लाम ने औरत को परदे और चार दिवारी में क़ैद कर दिया है ऐसा कहा जाता है, तो में जानना चाहता हूँ के इस्लाम ने औरत को ग़ैरों के मुकाबले में क्या मक़ाम दिया है ?

अलजवाब

حامدا و مصليا و مسلما

इस पर काफी किताब और मज़ामीन कुरान हदीस और तारिख-इतहास की रौशनी में लिखे गए है वह पढने चाहिये।

अहकर मुख़्तसर ख़ुलासा पेश करता है के : इस्लाम से पहले कया था और ग़ैरों के यहाँ कया है ? और इस्लाम ने कया दिया वह हसबे ज़ैल है।

१। औरतों को माल सामान की तरह बेचा जाता था और मिरा'स में तक़सीम किया जाता था, इस्लाम ने आज़ाद औरत को बेचना खरीदना हराम क़रार दिया।

२। लोग दस और सो से भी ज्यादा औरतों को निकाह में एक साथ रखते थे, इस्लाम ने चार तक की लिमिट कर दी। और एक से ज़्यादा औरतों में इन्साफ़ को वाजिब-ज़रूरी क़रार दिया।

३। तलाक़ और रुजूअ-तलाक़ वापस खींचने की कोई लिमिट न थी, तीन तलाक हो जाने बाद भी औरत को न छोड़ते थे और औरत को निकाह से न आज़ाद करते थे, न हुक़ूक़ अदा करते थे, इस्लाम ने तलाक़ की लिमिट ३ कर दी, उस के बाद नहीं रख सकते, और रुजूअ-इद्दत में तलाक़ वापस खीचना सिर्फ दो बार कर दिया। इस के बाद हराम क़रार दिया।

४। औरत को पैदा होते ही ज़िंदा क़बर में गाड़-दफर कर देते थे इस्लाम ने इस पर वइड - धमकी सुनाकर रोका, और लड़की

पालने के फ़ज़ाइल-फायदे सुनाकर लड़कियों की मुहब्बत और मक़ाम पैदा किया।

५। औरत जहाँ चाहे शादी अपनी मर्ज़ी से न कर सकती थी, इस्लाम ने उसे राय देने का हक़ दिया और बालिग़ औरत की रज़ामंदी-इजाज़त के बगैर निकाह सहीह न होने का क़ानून बनाया।

६। बचपन में निकाह किसी ने कर दिया हो तो बालिग़ होने के बाद उस निकाह को ज़बानी ख़तम करने का इख़्तियार दिया।

७। दो बीवियां एक दूसरे की अक्सर दुश्मन जैसी बन जाती है इसलिये दो सगी बहनो को ,खाला भांजी फूफी भांजी को निकाह एक साथ में रखना हराम किया।

८। औरतों को हर कोई बुरी निगाह से देखता है और उसे फ़ासता है उस से ज़िना-बदकारी होती है, उस पर रैप होता है, औरतों को पर्दा नकाब पहना कर मरदों की बुरी नज़र, ज़ीना और रेप से महफ़ूज़ किया, हिजाब का प्रोटेक्शन दिया। इसीलिये परदे नक़ाब वाली औरत के साथ ये चीज़ें पेश नहीं आती।

९। औरतों से घर के अन्दर और घर के बाहर डबल काम आज़ादी के नाम पर लिया जा रहा है, और उस को हर मैदान में

मरदों का खिलौना और हवस पूरी करने का नक़द सामान बना दिया है, इस्लाम ने सिर्फ घर के काम की ज़िम्मेदारी औरतों पर डाली और बहार के तमाम काम की ज़िम्मेदारी मर्द पर डाली, बीवी का खर्चा शोहर पर, बेटी का बाप पर, मां का अवलाद पर और बहन का भाई पर ज़रूरी क़रार दिया। उस के लिए औरत की फ़ितरत और क़ुदरती जिस्म की बनावत और मिजाज़ के ऐतिबार से घर की चार दिवारी में सुकून और आराम से रानी बनकर रहने को कहा।

(मीडिया और गलत माहौल ने ये मिजाज़ बदला उस का ऐतिबार नहीं) बाहर के काम कराने का आर्डर मरदों को देने का हक़ दिया और कोई मर्द न हो तो परदे के साथ ज़रूरी काम के लिए जाने की इजाज़त भी दी।

१०। औरतों को मीरास-विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता था इस्लाम ने मां, बेटी, बीवी और कुछ शर्त के साथ बहन को तीनो हैसियत से हिस्सा दिलाया।

والله اعلم بالصواب

♦ इस्लाम में औरतो और मर्दों के बुनियादी हक बराबर है।

अस्सवाल

➢ इस्लाम में औरतों के हक़ कम और फैसला सिर्फ मर्द का चलता है क्या ये बात सहीह है ?

अलजवाब

حامدا و مصليا و مسلما

इंसान के बुनियादी हुकुक जान, माल, इज्जत की हिफाजत और इंसानी जज्बात का ख्याल, इंसानी जरूरत इसमें मर्द, औरत दोनों को इस्लाम ने बराबर करार दिया है।

अलबत्ता मर्द को औरत पर सदर और अमीर और फैसल बनाया है ताकि दोनों के इख्तिलाफ में फैसला हो सके, और बाझ चीजों में मर्द को औरतों के मुकाबले में खुसुसीय्यत दी है, क्योंकि मर्द और औरत दोनों में फितरत, जिस्म और आदत के एअतेबार से फर्क है, इसलिए बाझ इख्तियार मर्द को दिए है, औरत को नहीं,

जैसे नमाज का इमाम, काझी, हाकीम बनना, अजान देना, तलाक देना, तलाक से रुजू करना वगैरा।

औरतों की आवाज पर्दे की चीज है, और अक्सर औरतों में कुव्वते फैसला, कुव्वते बर्दाश्त, सब्र मर्दों के मुकाबले में कम होती है, इसलिए बकीया इख्तियार औरतों को नहीं दिए, वरना मुआशरेमें बहुत नुकसान और खराबीया पैदा होती।

📗 **सूरह बकरह।** 🔰 **आयत :२२८।**

📗 **तफसीर मआरीफुल कुर्आन व आसान तफसीर से माखुझ।**

واللہ اعلم بالصواب

♦ तीन (३) तलाक़ की हिकमत।

अस्सवाल

- ➢ इस्लामी शरीअत में तीन ही तलाक़ क्यों है ?
- ➢ तीन से ज़यादा या तीन से कम क्यों नहीं है ?
- ➢ तीन तलाक़ में बीवी हराम क्यों हो जाती है ?

अलजवाब

حامدا و مصلیا و مسلما

अरब के जाहिलियत के ज़माने में तलाक़ की कोई हद तय ना थी, लोग जितनी चाहे तलाक़ देते थे. और उस के बाद बीवी से रुजूअ (निकाह में वापस) कर लेते थे. क्यों के इद्दत ख़त्म हो तो निकाह ख़त्म हो जाता है. मसलन

चौथी मरतबाह भी तलाक़ दी, और इद्दत (तीन हैज़ या तीन महीने) पूरी हो उस के पहले ही वापस रुजूअ (निकाह में ज़बान से बोलकर या हाथ से छूकर वापस) कर लेते थे, इस तरह ज़ालिम शोहर से बीवी को छुटकारा ना मिलता था, दसयों और बिसयों मर्तबा ऐसा करते थे, अगर बीवी चली भी जाती तो बीवी को समझा पता कर मीठी मीठी बातें कर के वापस बुला लेते थे, गोया तलाक़ को खेल बना रखा था.

इसलिए हज़रत पैगमबर صل الله عليه وسلم ने इस ज़ुल्म को और तमाशे को ख़त्म करने के लिए औरतें को इंसाफ दिलाने के लिए फ़रमाया : तलाक़ ज़यादा से ज़यादा तीन ही है, तीन से बीवी हराम हो जाएगी, ताके लोग तीसरी तलाक़ सोच समझ कर दे, वापस न लाने का पक्का इरादह हो, वाक़ई बीवी से उस की कमी कोताही की वजह से नफरत हो चुकी है, तो ही तीन तलाक़ दे, क्यों के अब सिर्फ रुजूअ करना या सिर्फ निकाह पढ़ना काफी नहीं, बल्कि उस बीवी को वापस लाना हो तो तलाक़ देने की शर्त किये बगैर वह किसी से निकाह करे, और बीवी का जिस्मानी हक़ (सोहबत

-सम्भोग) से अदा करे, और दूसरा शोहर जब चाहे अपनी मर्ज़ी से तलाक़ दे, या न भी दे, या उस का इन्तिक़ाल हो जाये, और उस के बाद, उस की इद्दत ख़त्म होने बाद बीवी अपनी मर्ज़ी से चाहे तो ही वापस तेरे निकाह में आएगी. अब दूसरी बार निकाह के महर के रुपये, शादी का पूरा खर्च तुझे ही करना पड़ेगा, अब वापस लाना आसान नहीं. बल्कि बहुत मुश्किल है, इसलिए बहोत सोच समझकर तलाक़ देना.

तलाक तीन से कम क्यों नहीं ?

जमा (परुलर बहुवचन) में कम से कम तीन होता है. ज़यादा की तो हद नहीं, इसलिए तीन ही से हद बंदी (लिमिट) कर दी,

अक़ल का तक़ाज़ा ये था के एक ही तलाक़ से निकाह ख़त्म हो जाता, लेकिन उस में सोचने का मवका न मिलता, बाज़ लोगों को नेअमत की क़दर नेअमत जाने के बाद होती है, इसलिए एक से ज़यादा तलाक़ का तरीक़ह शरीअत ने दिया है।

इस तरह के पहली तलाक़ निकाह के ख़त्म करने की तलब (एहतेमाम परेटिकल इरादह) के लिए, दूसरी उस इरादह

के तकमील यानि उस को पक्का बताने के लिए है, और तीसरी में तो इख़्तियार हाथ से जाता रहता है,

इसलिए निकाह ही ख़त्म हो जाता है.

📗 **रहमतुल्लाहे वसिआ शरहे हुज्जतुल्लाहे बालिगाह से माखूज़।**

والله اعلم بالصواب

♦ तलाक़ कब देना चाहिए?

अस्सवाल

- मिया बीवी में झगड़ा हो और बीवी ना फ़रमानी करती हो तो शरअन क्या करना चाहिए ?
- कया उस वक़्त तलाक देनी चाहिए ?

अलजवाब

حامدا و مصلیا و مسلما

तलाक़ अल्लाह को इन्तिहाई ना पसंद है, तलाक़ देने से अल्लाह को गुस्सा आता है, अल्लाह तआला का अर्ष हिल जाता है।

लिहाज़ा तलाक़ देने से पहले क़ुरआने करीम ने चार स्टेप-दर्ज़े बताये है। बीवी से किसी बात में झगड़ा हो और वह नाफ़रमानी करे तो......

१। पहले उसे प्यार मुहब्बत से समझाये, नसीहत करे फिर भी न माने तो...

२। उस का बिस्तर घर ही में अलग कर दे, फिर भी न माने तो.... आखरी दर्जा..

३। उसे हलकी मार मारे, जिस से निशान बाक़ी न रहे, हड्डी न तुटे, लेकिन मामूली गलती पर न मारे, गलती बड़ी हो तो ही दोनों तदबीर इख़्तियार करने के बाद आखीर में मारे।

अगर मान जाये तो उससे कोई इख़्तिलाफ़ी बात न करे, उसे क़ुसूरवार न ठहराये, पुरानी बातों को भूल जाए।

इस से भी क़ाबू में ना आये तो...

४। मियां बीवी दोनों खानदानो के रिश्तेदारों में से एक एक इन्साफ़ से फैसला करनेवाले शख्स दोनों मिया बीवी की शिकायतों को सुने, और अहवाल की तहक़ीक़ करे और दोनों को समझने की सुलह करने की कोशिश करे, अगर दोनों में इखलास है किसी को निचा दिखाना अपने को ऊँचा दिखाना मक़सूद न हो तो अल्लाह का वादा है के वह सुल्ह करा देंगे।

इस से भी मुआमला न सुलझे तो.....

इन ४ स्टेप्स पर अमल किये बिना हरगिज़ हरगिज़ तलाक़ नहीं देनी चाहिए, जैसा के आज कल लोग जल्द बाज़ी में तलाक़ दे देते हे, और फिर ज़िंदगी भर पस्ताते हे, इस तरह करने को शरीयत ने पसंद नहि किया है,

अब आखीर में तलाक़ दे दें, जिस का सहीह तरीका कल के मेसेज नंबर २२४७ में पेश किया जा चुका ।

📗 सुरह ए निसा आयत ३५,३५ मआ तफ़्सीरे उस्मानी।

والله اعلم بالصواب

♦ तीन तलाक़ एक साथ देने का हुक्म।

अस्सवाल

➢ बाज़ लोग तीन (3) तलाक एक साथ देते हैं. एसे लोगों के बारे में ईस्लाम क्या कहता है ?

अलजवाब

حامدا و مصلیا و مسلما

एसे लोगो के बारे में हदीसमें बडी नाराजगी के ईजहार कीया गया है. हजरत महमूद बिन लबिद फरमाते है के हुजूर (सल.) के सामने एक ऐसे सख्श का ज़िक्र गुना जिसने अपनी बीवी को तीन

तलाक एक साथ दी थी. हुजुर सलल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन गुस्से में खड़े हो गये, और फ़रमाया क्या क़िताबुल्लाह - क़ुरान से खेल ओर मज़ाक कीया जा रहा है? हालाके मैं तूममें मौजुद हूं.यहां तक के एक सख्श खड़ा हुआ ओर उसने कहा, या रसूलुल्लाह! में उसे कत्ल कर दुं ?

इस हदीसमें एक सहाबीने एसे आदमी को कत्ल के काबील समजा, लेकिन हुजुर (सलल्लाहु अलैहि वसल्लम) ने उसकी इज़ाजत तो नहीं दी. हुजुर صل الله عليہ وسلمजो सिर्फ शरीयत के खिलाफ ही कामों पर गुस्सा फरमाते थे, ओर गुस्सेमें खड़े हो जाना ओर इसको कुरान के साथ खिलवाड़ करार देना, अल्लाह ओर उसके रसुल صل اللهعليهوسلم की सख्त नाराजगी की दलील ओर बहुत डरने की चीज है.

📘 नसई किताबुत्त तलाक़।

हजरत अनस फरमाते है की, हजरत उमर (रजी.) के पास कोई ऐसा सख्त लाया जाता जिसने अपनी बीवी को एक साथ तीन तलाक़ दी है, तो आप (रजी.) उसकी कमर पर कोड़े मारते थे.

📘 **फतहुल बारी ९ /३१५।**

हाफीज़ने कहा इस हदीस की सनद सहीह है.

📗 **फिक्ही मकालत ३ /१८७ से मअखुज़।**

अगर ईस्लामी हुकूमत हो तो बादशाह को ऐसे आदमी को कोड़े लगाने वग़ैरह सजा देने की इजाज़त साबित होती है. तीन तलाक़ एक साथ मैं देना सख्त हराम ओर कबीरह गुनाह है. एक कबीरह गुनाह जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है।

नोट :- तीन तलाक एक साथ दी तो वाकिया हो जाती है, हमारे मआशरे की ये बुराई दुर करना ये उलमा ए किराम का काम है,ये मसला कुरान से साबित है.अल्लाहने कानून क़यामत तक के हालात को देख कर बनाया गया है, उसमे गलती नहीं हो सकती.इन्सान का कानून हो तो उसमे गलती हो सकती है इसलिए बदला जाता है.अल्लाह के कानून मै गलती नहीं हो सकती गलती करना ऐब है. और अल्लाह हर ऐब से पाक है।

واللہ اعلم بالصواب

♦ ईस्लाम में तलाक़ देने जा इख़्तियार औरतों को क्यों नहीं।

अस्सवाल

➢ ईसलाममें तलाक देनेका ईखतयार सिर्फ मर्दों को है. औरतो को कयुं नहीं ?

अलजवाब

حامدا و مصليا و مسلما

१। मर्दको औरत पर अल्लाह चलाने एक क़िस्मकी बरोतरी दी हे. कलिंज के शादी के बाद औरत का महर, वलिमे का खर्च, ओर बीवी बचचौके खाने-पीने, कपडे व मकान वग़ैरह का खर्च, ईसलाममें मर्दके जिम्मे रखा है. अगरचे औरत मालदार हो ओर कमाती हो, ओर अपना खर्च खुदभी ऊठानेके काबील हो तो भी खर्च की जिम्मेदारी मर्दसे माफ नही होती है. ओर अक्सर औरतौं के मुकाबले मै ईनतेजामी सलाहियत, अक़्ल समझदारी, गुस्से पर कनट्रोल ? कुववते बरदासत, रंज व गम से जल्दी मुताससीर न होना, ये तमाम सिफ़त अक्सर मर्दोंमें ज्यादा होती हैं. लिहाज़ा अक्सर मर्द तलाक

अक्सर औरतों के मुकाबले में सोच समझ कर देगा, कयों की उसे मालूम है के तलाक के बाद भी बीवी का ईद्दत तक का खचँ और बचचौं का बालिग व शादी होने तक का खचँ और बीवीको परवरिश और देखभाल का खचँ, दुसरी शादी के महर वलीमे का खचँ, मदँ के जिम्मे है, ऐसा कोई खचँ औरत के जिम्मे नही है. लिहाज़ा ये सब खचँ ऊसके जिम्मे तलाकके बाद दोबारा आईगे, इसलिये मदँ सोच समझ कर तलाक देगा।

औरत के जिम्मे दुसरी शादी के बाद भी किसी किसम का खचँ उसके जिम्मे नही आयेगा. बल्कि दूसरी शादी की वजह से महर और कपडे वग़ैरह दूसरे शोहर से मिलेगा. लिहाज़ा वह तलाक देनेकी ज्यादा जरुरत करेगी. और अक्सर औरतें जल्दबाज, जजबाती, रंज व गम से जल्दी मुतासीर होने वाली, कम समझ होती हैं . अगर तलाक का ईखतयार उसे दीया जावे तो जितनी तलाक मदँ वाकया करता है उससे दुगनी औरतैं वाकया करती।

मर्द तलाक देने का ईखतयार औरतको भी दे सकता है, जिसे तफवीज़ कहते हैं. जब मदँ औरत कोतलाक देने का ईखतयार देगा तो औरतभी अपने आप पर तलाक वाकया कर सकती हैं, एक दौर

अरब में ऐसाभी गूजरा है कि औरत शादी होते ही तफवीज़ के जरीये तलाक का ईखतयार शौहरसे अपने नाम पर लीखवा लाया करती थी. उस जमानेमे औरतैं मामुली झगड़े में भी तलाक अपने आप को देने के वाकयात बहुत ज्यादा हुए थे।

लिहाज़ा तजुरबा व अकल ईस बातको मान लेती है कि असल तलाक देने का ईखतयार मर्दौंको ही होना चाहिए।

नोट :- हर सो १०० मे से एक दो औरतें ऐसी भी होती हैं जो मर्दौं से ज्यादा अक्लमंद, गुस्से पर काबू रखने वाली वगैरह शिफ़त में मर्दौंसे आगे होती है, और बाज़ मर्दँ औरतौंसे ज्यादा नासमझ, जलदबाझ वग़ैरह कमजोरी रखनेवाला होते हैं। लिहाज़ा शरीयतके हुक्मका दारोमदार अक्सर लोगौं के ऐतबार से होता है, बाज़ लोगोके ऐतबारसे नहीं होता।

तनाजआत का शरई हल और शौहर को हक़ ए तलाक कयुं? सफा २१ से २३ का खुलासा।

والله اعلم بالصواب

♦ ३ तलाक़ और हलाल का सुबूत कुरान से।

अस्सवाल

➢ कुछ लोग कहते हैं के ३ तलाक़ और हलाला का सुबूत कुरान से नहीं है क्या ये बात सहीह है?

अलजवाब

حامدا و مصلیا و مسلما

यह बात बिलकुल गलत है, जो ऐसा कहते हैं वह आलिम नहीं होते बल्कि शरीअत से ना वाक़िफ़ होते हैं...

हस्बे ज़ैल आयत में मुलाहज़ा कीजिये

📗 **सूरह बक़रह आयत. २२९ में अल्लाह ता'ला फरमाते हैं।**

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان

तलाक़ दो मर्तबा की है (दो मर्तबा तलाक़ देने के बाद दो इख़्तियार है) चाहे तो रुजूअ करले और बीवी को क़ायदे के मुताबिक़ रख ले और चाहे (रुजूअ न करे और इद्दत पूरी होने दे और इस तरह) अच्छे तरीके से उसको छोड़ दे.........

फिर आगे चार सतर (लाइन) के बाद मज़ीद तफ्सील है.....

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ﴿ٱلۡبَقَرَة : ٢٣٠﴾

तरजमा का मतलब :

फिर अगर (दो तलाक़ के बाद) बीवी को (तीसरी) भी दी हो तो फिर वह औरत (तीसरी तलाक़ के बाद उस शख्स के लिए हलाल (बीवी) नहीं रहेगी. जब तक वह उस (शोहर) के शिवा किसी दूसरे शख्स से (इद्दत के बाद) निकाह न कर ले (और जब तक सोहबत हम बिस्तारी से हुक़ूक़ ए ज़ौजियत अदा न करले) फिर अगर तलाक़ दे दूसरा शख्स (और उस की इद्दत गुज़र जाये) तो उन दोनों पर (पुराने शोहर और बीवी पर) उसमे कोई गुनाह नहीं, के आपस में एक दूसरे से निकाह कर के फिर मिल जाये. बशर्ते के दोनों को अपने अपने ऊपर भरोसा हो के आइन्दा अल्लाह के क़ानून को क़ाइम रखेंगे.

📘 मा'रिफुल क़ुरआन १/५५१ सूरह ए बक़रह आयात २३० ।

✒तर्जमा हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैही ।

नोट :- ऊपर की आयत के मुतलक़ कोई क़ैद नहीं है चाहे यह तीन तलाक़ एक साथ दी हो । या अलग अलग आयत दोनों क़िस्म की तलाक़ को शामिल है. तीन तलाक़ एक साथ नहीं होती ऐसी बात इस आयत में नहीं है.

📕 आसान तफ़्सीर सफा ८९ से। माखूज़ हज. मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी दा.ब.।

कुरान के मसाइल वाली आयत को अच्छी तरह समझने के लिए सिर्फ तर्जमा काफी नहीं है बल्कि हदीस शरीफ की रौशनी में इसका सहीह मतलब समझा जाता है. लिहाज़ा कल इंशा'अल्लाह इसके मुता'अल्लिक़ तलाक़ की हदीसे पेश की जाएगी।

والله اعلم بالصواب

♦ हलाले की हकीकत।

अस्सवाल

➢ कुराने करीममें हलाले की इजाज़त क्यों है ? इस में क्या हिकमत और मसलीहत है ?

अलजवाब

حامدا و مصلیا و مسلما

अगर फ़ितरते इंसानी को मद्देनज़र रखते हुए हलाला का इस्लाम दुश्मनी भूलकर गौर किया जाए तो ये बात खुल कर सामने आती है की कोई भी गैरतमंद इंसान इस बात के लिए राज़ी नहीं होगा की उसकी बिवी जो किसी गैर मर्द के साथ निकाह किया हो और

उसका तलाक होने के बाद उससे दोबारह निकाह करे। जब ये हकीकत है तो फिर क़ुरान हकीम में निकाह-हलाला का ज़िक्र क्यों आया है ?

इसका जवाब यह है के हलाला फ़र्ज़, वाजिब या मुस्तहब नहीं और क़ुरान मजीद ने मुसलमानो को निकाह ए हलाला की हकीकत में न इज़ाज़त मरहम्मत फ़रमाई है, और न ही इसकी तरग़ीब दिलाई है।

बलके, बतौर-ए-तम्बीह कहा के '"ऐ इंसान, दो तलाक देने के बाद तीसरी तलाक देने से बाज़ आजा'" और ठन्डे दिमाग से गौर व फ़िक्र कर, शायद मेल-मिलाप की कोई राह निकल आए, और मुस्तक़बिल में तुजे अपने इस जज़बाती और अन्जाम पर गौर न करनेवाले फैसले पर अफ़सोस का हाथ न मलने पड़े, क्यों के तीन तलाक से न सिर्फ मियाँ-बीवी की ज़िन्दगी अजीरन बन जाती है बल्कि बच्चों के मुस्तक़बिल- फीचर में भी अँधेरा हो जाने के भी कवि इमकान पैदा हो जाते हैं। और बुरे असरात मुआशरे पर पडते हैं।

जब ये तमाम खतरे मर्द के सामने रहेंगे तो बिलकुल मुमकिन है के शोहर का इरादा ए तलाक ज़रूर बदल जाएगा।

ईसीलिये क़ुरान मजीद ने दो तलाक की ताबीर इख़्तियार की اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ तलाक दो है, तलाक तीन है नहीं कहा, क्यों के तीन तलाक देनी ही नहीं है।

देने वाले मर्द को कहा के अगर तूने तीसरी तलक देने में भी जल्दबाज़ी की तो ये हिम्मत न सिर्फ नामुनासिब हैं बलके इसके बाद दोनों की ज़िन्दगियों पर इसके बुरे असरात मुरत्तब होंगे।

चुनके दो तलाक देने के बाद दोबारह इज़दवाजी ज़िन्दगी शुरू करने का इमकानात- चांसेस हैं, लेकिन तीसरी तलाक के बाद तमाम इमकानात क़रीब नामुमकिन हो जाएंगे।

तलाक़-शुदा ख़ातून शोहर के लिए हलाल नहीं रहेगी। फ़ौरन उनका निकाह ख़त्म हो जायेगा और उनमे अलाहिदगी हो जाएगी और ये मरहला तय होने के बाद मियां-बीवी नदामत व पशेमानी का इज़हार करने के बावजूद दोबारह इज़दवाजी ज़िन्दगी गुज़ारना चाहें तो भी गुज़ार नहीं सकेंगे ता-वक़्त ये के बिवी दुसरे शोहर से निकाह करे।

इस लिए क़ुरान मजीद ने तलाक का इस्तेमाल करने से पहले एक दुसरे की तबीअत में मुवाफिकत न होने और आपसी नफ़रत को

दूर करने के लिए क़रीबी रिश्तेदारो और मुस्लिम मुआशरे के समझदार लोगों से सुलह व मश्वरह लेने पर ज़ोर दिया है ताकि निकाह के ताल्लुक़ को हत्तल-इमकान काईम व बर्करार रख्हा जा सके।

खातून से ज़्यादा ये मर्द आदमी पर लाज़िम है वो इख़्तिलाफ़ी और झगडे के हालत में भी जल्दबाज़ी से काम न ले बलके, सब्र व बर्दाश्त का मुज़ाहरा करते हुए इज़दवाजी ज़िन्दगी को बचाने की जितनी हो सके कोशिश करे।

ईसी लिए क़ुरान मजीद ने कहा के इन तमाम उसूल को नज़र अन्दाज़ करके और निकाह ए हलाला से डराए जाने के बावजूद जिसने जल्दबाज़ी में आकर तीन तलाक दे दी, दर-हकीकत उसने अल्लाह के कानून की धज्जियाँ उड़ाकर अपने आप पर ज़ुल्म किया और हलाकत व नाकामी अपने लिए पसन्द कर ली।

चुके इसने तीन तलाक का इस्तेमाल करते हुए रुज़ू’अ-वापसी के दरवाज़े अपने आप पर बंद कर लिये, दर हकीकत ये वो मना किये हुआ मक़ाम था जहाँ पर दाखिल हो कर शोहर ने अपने और अपने अहल-व-अयाल के लिए ख़तरनाक़ व हौलनाक ज़िन्दगी का इंतिख़ाब किया है।

इसलिए तलाक को इस्लाम ने इंतिहाई बुरा अमल क़रार दिया है।

हज़रात सैय्यदना मुहारीब रदी. से मरवी है के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया "अल्लाह तआला ने जिन चीज़ों को हलाल किया है उन में अल्लाह तआला के नज़दीक तलाक सब से ज़्यादा ना-पसन्दीदाह है।

📗 **अबू दाऊद।**

अगर दुसरे शोहर के साथ ख़ातून की ज़िन्दगी खुश-हाल गुज़र रही है और उनमें कोई नाइत्तिफ़ाक़ी नहीं है तो अब ज़िन्दगी भर इस ख़ातून का पहले शोहर की तरफ़ लोटना होना नामुमकिन हो जाएगा। इसी लिए क़ुरान मजीद ने शोहर को दो तलाक देने के बाद निकाह-हलाला का ज़िक्र करके तम्बीह फ़रमाई है ता'के वो तीसरी तलाक देने के जज़्बाती फैसले से बाज़ आ जाए, और अपनी और अपने अहल-व-आयल की ज़िन्दगी को अजीरन होने से बचाने में क़ामयाब हो जाए।

निकाह-हलाला की हकीकत व रूह ये है क तलाक शुदा ख़ातून का निकाह जब दुसरे सख़्श से हो जाता है और मान लो इस ख़ातून

के रिश्ते दुसरे शोहर के साथ भी न नीभ सके और किसी वजह से उन में इख्तिलाफ हो जाए, और दुसरा शोहर भी उस ख़ातून को तलाक दे कर अपने निकाह से खरिज कर दे, तब पहले शोहर के लिए हलाल है के वो इस ख़ातून से निकाह करे, बा-शर्त ये के वो ख़ातून पहले शोहर से निकाह करने के लिए राज़ी हॉ, इसको निकाह-हलाला कहते हैं।

ये बात याद रहे के दुसरे शोहर से तलाक पाने वाली ख़ातून पर लाज़िम नहीं है के वो पहले शोहर ही से निकाह करे, बलके उसे मुकम्मल इख़्तियार है के वह जिससे चाहे निकाह करे। अगर वह किसी से भी निकाह न करना चाहे तब भी उसे पूरा इख़्तियार हासिल है।

कौनसी ऐसी गैरत-मन्द ख़ातून होगी जो उस शोहर से दोबारह निकाह करने के लिए हाँ कर दे जिसकी वजह से उसे दुसरे सख़्श से निकाह करना पड़ा था, ये इंतिहाई गैर-फिटरी और नाक़ाबिल-ए-क़ुबूल बात है के कोई गैरत-मन्द ख़ातून इस बात के लिए राज़ी हो जाए के वो तकलीफ और परेशानी की ज़िन्दगी गुजारने क बावजूद

पहले शोहर से निकाह कर ले जिसकी वजह से उसे ज़हनि, क़ल्बी, जिस्मानी, व रूहानी, अज़िय्यतों से गुज़ारना पडा था।

निकाह-हलाला की दूसरी सूरत ये हो सकती है के अगर ख़ातून की मुसलसल नाफ़रमानियो के सबब शोहर ने तलाक दे दी हो फिर वह तलाक़-शुदा खातून को दुसरे शोहर से निकाह करने के बाद ये एह्सास हुवा के क़ल्बी, ज़हनि, ओर रूहानी तौर पर ख़ुशगवार ज़िन्दगी जो उसे पहले शोहर के साथ मयस्सर थी और सुकून व इत्मिनान हासिल था वह दुसरे शोहर के साथ मुमकिन नहीं या दूसरा शोहर पहले शोहर से अच्छा है, तो वह उसे के साथ ज़िन्दगी गुज़ारे या निकाह के बाद दुसरे शोहर का इन्तिक़ाल हो जाये या वह सोहबत-हम बिस्तरी की ताक़त खो बैठा हो, ऐसे हालत में वो खुला ले कर-तलाक मांग कर पहले शोहर से निकाह करना चाह रही है और पहला शोहर भी राज़ी है तो इस्लाम ने उन हालत में इन दोनों को दोबारह निकाह करने का एक और मौक़ा इनायत फ़रमाया है जिसे निकाह-हलाला कहते है।

इस में कोई ईश्काल नहीं है।

जो शर्तिया निकाह करते है या निकाह-हलाला के नाम पर हमेशा निकाह की निय्यत के बग़ैर एक दिन या रात के लिए निकाह करते है ये इस्लामी तालीम नहीं है, अगर उन में निय्यत और तरीका गलत है तो वह खुद उस के ज़िम्मेदार है।

आखीर में अल्लाह तआला से दुआ है हमें क़ुरान और साहिब-ए-क़ुरआन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मिजाज को समझने और इस के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए ।

والله اعلم بالصواب

♦ हलाले की हिकमत।

अस्सवाल

- शरीअत में हलाला साबित हे ?
- अगर साबित है तो उसका सहीह तरीका और इसकी हिकमत क्या हे?

अलजवाब

حامدا و مصليا و مسلما

हलाला का मसला पैगम्बर के ज़माने से ही शुरू हुवा, जिस की वजह से क़ुरान की आयत भी नाज़िल हुयी और इस सिलसिले में हुज़ुर ﷺ ने अहादीस भी इरशाद फरमायी।

इस्लाम में हलाला का मतलब ये है के एक औरत को जब तीन तलक दे दी जाये तो इसके बाद इसकी तरफ रुजूअ(वापस) नहीं किया जा सकता, औरत को चाहिए जिस शोहर ने उसकी क़दर न की और तीन तलाक दे दी उस से दोबारह निकाह न करे, किसी दूसरे ही से अपनी पसंद से शादी करे, ओरत पर निकाह करने का कोई खर्च इस्लाम ने उसके ज़िम्मे नहीं रखा हे।

महर, वलीमा, तआम सामान लाना मर्द के ज़िम्मे रखा हे। अगर वो औरत अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरे मर्द से तलाक देने की शरत के बगैर शादी करे और इसके बाद उसके साथ हम बिस्तरी करे और यह मर्द अपनी मर्ज़ी से बगैर किसी के दबाव के इस औरत को तलाक दे दे, या न भी दे, या वह अपने इख़्तियार से तलाक ले ले (पुराना शोहर किसी से निकाह करने या निकाह के बाद तलाक लेने पर ज़बर्दस्ती नहीं कर सकता, बाल्कि वह उसका शोहर रहा ही नहीं के वो यु समझे के मेरी बीवी को दूसरा इस्तेमाल कर रहा हे। उसका कोई हक़ उस औरत पर नहीं रहा) या इस दूसरे शोहर का इंतेक़ाल हो जाये, इसके बाद पुराना शोहर इस औरत के साथ दोबारा निकाह अगर औरत की मर्ज़ी हो तो कर सकता है।

जैसा के सुरह बक़रह की आयत २३० में इस बारे में हुकम दिया गया हे।

فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن

يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ ﴿اَلْبَقَرَةُ : ٢٣٠﴾

यानी अगर शोहर ने औरत को तीन तलाक दे दी तो इसके बाद वह औरत इस मर्द के लिए हलाल नहीं होगी, जब तक के वह किसी दूसरे मर्द से निकाह न कर ले, पस अगर वह इसको तलाक दे दे तो इस सुरत में पहले शोहर के इसकी तरफ रुजूअ करने में कोई हरज नहीं हे।

ये चीज़ इस्लाम ने इस वजह से रखी है ताकि मुस्लमानो के दरमियान तलाक की नहूसत को कम किया जाए, तलाक से समाज में पैदा होने वाले मसाइल का हल निकाला जाये, चूंकि जब इंसान अपनी बीवी को तलाक ए मुग़ललज़ा यानि तीन मर्तबा तलाक दे देगा इसके बाद अपने किये पर पस्तावे भी हो तो इस पस्तावे का कोई फायदा नहीं होगा, चुनके अब इस औरत को हासिल करना गोया इन्तिहाई मुश्किल हे, इस लिए के जब वह औरत किसी दूसरे मर्द से शादी करेगी तो ज़रूरी नहीं के उसके बाद उसे तलाक का मुतालबा

करे, उसे वह पसंद आ जाये तो उसी के साथ ज़िन्दगी बसर कर सकती है, और अगर मान लो के वह औरत मुतालबा करे तो ज़रूरी नहीं के उसका शोहर उसे तलाक दे दे, और इस दूसरी शादी में इस्लाम ने हम-बिस्तरी की क़ैद लगायी है, के दूसरा मर्द इस औरत के साथ जो अब इसकी बीवी है हमबिस्तरी भी करे, इस चीज़ से पहले मर्द को ये एहसास भी होगा के वह अपनी बीवी को तीन तलाक देकर भेज देगा, वह किसी दूसरे मर्द से शादी करके हमबिस्तरी कर लेगी, इसके बाद अगर मान लो की तलाक की सुरत में वह इससे शादी भी करे तो ये इसके लिए बे गैरती और बड़ी शर्म की हरकत का सुबूत होगा, इस लिए उसे वह दोबारह निकाह में लाये ही नहीं या औरत इस शोहर के साथ दोबारा निकाह करे ही नहीं जिस से उस की न बनी हो और तलाक की ये नोबत आ चुकी हो।

लेकिन बाज़ लोग इस मसले को दूसरे रूप (तरह) से पेश करते हे। आम जाहिल लोग हलाला का मतलब यह समझते इधर तीन तलाक देने के बाद जब अपने किये पर पस्तावा हो तो अपनी बीवी को किसी मर्द के पास एक रात के लिए शरत करके भेज दो उसके बाद दूसरे दिन वह हलाल हो कर वापस आ गायी।

इस अमल को शरीअते इस्लामी ने साफ़ हराम क़रार दिया हे। जेसा के हदीसे नबवी में ऐसा करने वालो पर लानत भी की गयी है

"لعن الله المحلل و المحلل له"(ترمذی)"

"ख़ुदा की लानत हो उस मर्द पर जो अपनी बीवी को हलाल करने के लिए भेजे और उस मर्द पर जो दूसरे की बीवी को इस तरह हलाल करे"

यह हदीस अबू दावूद, अहमद, नसई, तिर्मिज़ी और इब्ने माजह में बयांन हुयी हे।

आज लोगो में राईज हलाला और क़ुरान में बयान किये हुवे हलाले के हुकम में फ़र्क़ हे।

उमूमन जो हलाला का तरीका रिवाज में है वह यु के अपनी बीवी को तीन तलाक देने के बाद नादिम (अफ़सोस) हो जाये तो वह हलाला को अपनी मुश्किली के रास्ते का हल समझते हुये अपनी बीवी को किसी शख्स के पास भेज देता और वो मर्द इसे "हलाल" करके लौटा देता, यह चीज़ रिवाज में बोहत गलत हे।

क़ुरान और शरीअत में जो हलाल करने का तरीका ए कार है वह ये है के तीन तलाक के बाद औरत को इख़्तियार हासिल है के

वह चाहे किसी से शादी करे या न करे, और किसी दूसरे मर्द से शादी करने की सुरत में भी इसको मुकम्मल इख़्तियार हक के वह दूसरे शोहर से तलाक ले या न ले। इसमे पहले मर्द का कोई दखल नहीं है, के अब ऐसी सुरत में यह औरत दूसरे के साथ साल्हा साल ज़िन्दगी बसर करे या अगर इसका शोहर अपनी मर्ज़ी से तलाक दे दे या मर जाये तो ऐसी सुरत में अगर वो औरत चाहे तो पहले मर्द के साथ दोबारा शादी कर सकती है ।

واللہ اعلم بالصواب

♦ सहीह और गलत हलाला।

अस्सवाल

➢ हलाला किसे कहते है ? और कैसे करना चाहिए ?

अलजवाब

حامدا و مصلیا و مسلما

शोहर ने अपनी बीवी को एक एक कर के तीन या एक साथ तीन तलाक़ दे दी तो बीवी उस पर हमेशा के लिए हराम हो गई, अब उस को अपने निकाह में नहीं रख सकता, बीवी और शोहर को चाहिए के अपनी पसंद से दूसरे किसी से निकाह करे।

लेकिन शोहर को अफ़सोस हुवा और वह उसी बीवी को दोबारा लाना चाहता है तो उसके लिए एक मुश्किल और उस की गैरत को ललकारने वाली शरत लगा दी ताके वह ये हरकत न करे।

फिर भी अपनी मर्ज़ी से ये काम करना चाहे तो उस की सुरत ये है वह औरत पहले शौहर की ईद्दात गुजारने के बाद खुद पहले निकाह की तरह किसी मर्द को पसंद करके तलाक़ देने की शरत किये बगैर निकाह करे, फिर वह शोहर किसी वजह से तलाक़ दे या उन का इन्तिक़ाल हो जाये तो इद्दत गुज़र कर कर पुराने शोहर से अपनी मर्ज़ी से निकाह करना चाहे तो कर सकती है, इसे शरई हलाला कहते है।

हमारे मुआशरे में बाज़ लोग तलाक़ की शरत के साथ निकाह करते है या कराते है ये गैर शरई और हराम हलाला है।

हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया हलाला करने वाले पर (नया शोहर) और जिसके लिए हलाला किया जाये (पुराने शोहर) पर अल्लाह की ला'नत और फिटकार है।

📗 **बुखारी शरीफ २ /७९१। फ़तवा हिंदिया १/१५० से माखूज।**

والله اعلم بالصواب

♦ हलाला की सजा औरत को क्यूं ?

अस्सवाल

➢ ये सवाल भी कसरत से उठाया जाता रहा है के तलाक़ देने की गलती शोहर ने की तो हलाले की सजा बीवी को क्यूँ दी जाती है?

अलजवाब

حامدا و مصليا و مسلما

इस सवाल के कई जवाबात हैं जिसे निचे पेश किये जाते है।

१। इस्लाम औरत को मजबूर नहीं करता, हुक्म नहीं देता है के हलाला करे, बल्कि सिर्फ आखरी दर्जे की इजाज़त दी है, और उसी बेवक़ूफ़, तलाक़ देने के तरीक़े से जाहिल और ग़ुस्से और ज़बान पर कंट्रोल न रखने वाले शोहर से दोबारा निकाह न करे, बल्कि किसी और पसंददीदा मर्द से हमेशा के लिए निकाह करना चाहिए, फिर भी वह ऐसे शोहर से अपनी मर्ज़ी से निकाह करने की गलती कर रही है तो सजा भी उसी को मिलेगी।

रही बात छोटे छोटे बच्चे के छुट जाने की मजबूरी, तो ये बात भी याद रहे के लड़का ७ साल तक और लड़की ९ साल या बालिग़

होने तक रखना माँ का हक़ और क़ानून है, उन का खर्च भी बाप के ज़िम्मे ज़रूरी है। बाप उससे पहले उसे ले नहीं सकता।

और उसके बाद शोहर को बच्चे वापस लेना ज़रूरी नहीं, बीवी की ख़ुशी और मर्ज़ी हो तो उसके बाद भी रख सकती है।

२। रही बात गुस्से में दे दी थी और उस शोहर को भी बीवी से बड़ी मुहब्बत है तो सवाल ये पैदा होता है के दुन्या के सब मुस्लिम शोहर गुस्से में ऐसा नहीं बोलते है, और हलाला करके दोबारा गई तो उस की क्या गारण्टी के उस को दोबारा ऐसा गुस्सा नहीं आएगा और वापस ऐसी तलाक़ नहीं देगा ?

लिहाज़ा बगैरती की शरत लगाकर दर पर्दा एक ऐतिबार से कुरान हलाले को पसंद नहीं कर रहा है।

३। ये सजा मर्द को है क्यूँ के औरत से ज़्यादा गैरत अल्लाह ने मर्द में रखी है, ऐसी औरत जो दूसरे मर्द से निकाह और हम बिस्तरी करा कर आये उसे दोबारह निकाह में रखने की गैरत-शर्म और अफ़सोस पूरी ज़िन्दगी उसे रहेगा, वह अपनी इस हरकत को भूल नहीं पायेगा, बीवी तो भूल जाएगी, अक्सर औरतों की याद दश्त अक्सर मरदों से कमज़ोर होती है और बीवियाँ शोहर की ऐसी गलती को जल्द मुआफ करती है, लेकिन बीवी किसी मर्द के पास जाये

शोहर इस गलती को जल्दी मुआफ नहीं करता और दोबारा उसीसे निकाह करना उस की मर्ज़ी है, लिहाज़ा उसे कुछ कह भी नहीं सकता।

४। ये सजा का मुस्तहिक़ मर्द बन जाता है, इस तौर पर के बिला शर्त शरई हलाले के लिए निकाह बीवी करती है, तो दूसरा शोहर बीवी को पहले शोहर से ज़्यादा पसंद आ जाता है, और वह उसी के निकाह में रहने के लिए राज़ी हो जाती है, या दूसरे शोहर को वह बीवी पसंद आ जाती है, और वह उसे तलाक़ देने तैयार नहीं होता, और बीवी को राज़ी कर लेता है, उसके बच्चे पालने भी तैयार हो जाता है, इस तौर पर पहले शोहर को बीवी से हमेशा के लिए हाथ धोने पड़ते है।

५। कभी ये सजा न बीवी के लिए साबित होती है न मर्द के लिए, जिसकी तफ़सील ये है के मुतल्लक़ा या बेवा का दोबारा निकाह करना इस्लाम में एब नहीं, बल्कि पसन्दीदा है, इसलिये बीवी किसी और पसन्दीदा मर्द से निकाह करती है तो बीवी को पहले शोहर से अच्छा दूसरा शोहर मिल जाता है, और शोहर जिसका मिजाज़ उस बीवी से नहीं मिलता था जब बीवी ने किसी और से निकाह कर लिया तो उसने भी गुस्से में उसे दोबारा अपनाने से मना कर दिया, और

किसी और से निकाह कर लिया जो उस के मिजाज़ से मुवाफ़िक़ निकल आई।

६। इस्लाम से तलाक़ देने का असल तरीका ये है के सिर्फ एक तलाक़ दी जाये, अगर तलाक़ से रुजूअ यानि तलाक़ को इद्दत (३ मासिक, ३ एम.सी) में वापस न लिया जाये तो एक तलाक़ से भी निकाह ख़त्म हो जाता है, तीन देने की ज़रुरत ही नहीं।

फिर अगर पस्तावा हो अपनी गलती का एह्सास हो तो मियां बीवी एक दूसरे की रज़ामंदी से दोबारह निकाह कर सकते है, इस में हलाले की ज़रुरत नहीं।

अगर निकाह करने के बाद दोबारह किसी वजह से और एक तलाक़ दे दी और इद्दत (३ एम.सी) में रुजूअ-तलाक़ को वापस भी नहीं लिया तो निकाह ख़त्म हो जायेगा, वापस अफ़सोस हुवा और एक दूसरे से गलती न करने वादा किया तो दोबारा भी बगैर हलाले के निकाह हो सकता है।

लेकिन तीसरी मर्तबा ऐसा किया तो अब बगैर शरई हलाला के निकाह नहीं हो सकता, अगर हलाले जैसी मुश्किल शर्त न रखी जाती तो निकाह गुड्डा गुड्डी का खेल बन जाता, जितनी मर्तबा चाहे

तलाक़ दो जितनी मर्तबा चाहे निकाह कर लो, निकाह और तलाक़ की अहमियत ख़त्म हो जाती।

📚 👉 मौलाना मंज़ूर मैंगल साहब।

👉 मुफ़्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब ।

👉 मुफ़्ती तारीक़ मसूद साहब ।

👉 डॉ. ज़ाकिर नायक साहब।

👉 मद्दतफुयूज़ुहुम के बायानात। और कुछ

👉 अहकर की नाक़िस समझ से माखूज़।

والله اعلم بالصواب

♦ औरत का मीरास में आधा हिस्सा क्यों ?

अस्सवाल

➢ इस्लाम ने औरतों को मीरास-वारसाई में मरदों से आधा हिस्सा क्यूँ दिया है? मरदों के बराबर क्यूँ नहीं दिया?

अलजवाब

حامدا و مصلیا و مسلما

ये ऐतराज़ इस्लामी क़ानून में हर चीज़ की रिआयत है उस बात को पुरे तौर पर न जानने और उस को सिर्फ ऊपर ऊपर देखने और सोचने का नतीजा है,

इस्लामी पूरी ज़िन्दगी समा लेने वाले एक मुक़म्मल निज़ाम का नाम है इस में वक़्ती मस्लिहतों की रिआयत से ज़यादह मसलों के हमेशा के हल को मुक़द्दम रखा है।

इसलामी शरीअत में अगर मरदों को ज़यादह हिस्सा मिलता है तो दूसरी तरफ उन पर औरतों का महर, जहेज़,शादी करने का पूरा खर्च ,नानो नफ़्क़ाह-खर्चा, जाइज़ ख़्वाहिशात को पूरा करने और बाहर के काम काज की ज़िम्मेदारी डालना, औरतों को हर तरफ से तकलीफ और ख़र्चों से बचाने वाले निज़ाम की एक झलक है।

अगर विरासत में औरतों को मरदों के बराबर हिस्सा देकर नानो नफ़्क़ाह और ज़िन्दगी की दुसरी ज़रुरत का बोझ औरतों ही पर डाला जाता तो इज्तिमाई और ख़ानदानी निज़ाम ही बेकार हो जाता है, ये हकीकत है के औरतों को हर काम में माली ज़रुरत के बा वजूद उसमे कमाने की मशक़्क़त को बर्दाशत करने की क़ुदरती सलाहियत बहुत कम होती है। ऐसी सुरत में विरासत का एक खास हिस्सा (मरदों के बराबर देने का क़ानून) उनके ज़िन्दगी भर के इख़राजात खर्चों के पुरे होने की गारंटी दे सकता है?

हरगिज़ नहीं।

पता ये चला के औरतों को आधा हिस्सा जो मिलेगा वह सीधा कबाट या बैंक में रख देना है वह महफ़ूज़ रहेगा और मरदों का डबल हिस्सा भी खर्च हो जाएगा।

अंजाम के ऐतिबार से औरत का हिस्सा मर्द से बढ़ा हुवा बाक़ी रहता है।

ओरत को आधा हिस्सा उस के सिर्फ औरत होने की वजह से नहीं दिया है बल्कि उसपर माली ज़िम्मेदारीयों का बोज इस्लाम ने नहीं डाला है, उसको घर की रानी बनाया है, इसलिये आधा हिस्सा दिया है।

अगर वह बेटी है तो उसका खर्चा बाप के ज़िम्मे, अगर वह बीवी है तो उस का खर्च शोहर के ज़िम्मे, अगर वह बाप के इन्तिक़ाल के बाद बेवा या तलाक़ शुदा बहन है तो उस का खर्च भाई के ज़िम्मे, अगर वह माँ है तो उस का खर्च अवलाद के ज़िम्मे, जब उस का पैसा पूरा इस्तेमाल ही नहीं होगा तो उस को पूरे हिस्से की ज़रुरत भी नहीं है।

ये इस्लाम दुश्मनो का प्रोपेगण्डा है के औरत पर इस्लाम ज़ुल्म करता है, बल्कि जितना इन्साफ़ औरतों के साथ इस्लाम ने किया है उतना किसी भी मज़हब में नहीं किया है।

हिन्दू मज़हबी किताबों में औरत को मीरास में बिलकुल हिस्सा नहीं है, अभी हिस्सा देने का सरकारी क़ानून बनाया है उस पर कोई अमल नहीं, अक्सर लोग आधा हिस्सा भी नहीं देते है।

बहुत सी सूरतें विरासत की ऐसी है जिस में मरदों से ज़्यादा औरतों को मिलता है।

والله اعلم بالصواب

♦ मछली मुर्दार और बगैर ज़बह किये क्यों हलाल है?

अस्सवाल

- इस्लाम में जिस तरह मरी हुवी मछली खाने की इजाज़त है उस तरह मरा हुवा जानवर खाने की इजाज़त क्यूँ नहीं ?
- जीस तरह मरा हुवा जानवर खाने की इस्लाम में इजाज़त नहीं है उस तरह मरी हुवी मछली खाने की इजाज़त क्यूँ है ?

अलजवाब

حامدا و مصليا و مسلما

सबसे पहले,

अल्लाह तआला जो करता है उस पर सवाल नहीं किया जाता,

अल्लाह तआला फ़रमाते हैं जिस का मतलब है,

﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ الانبياء : ٢٣

"अल्लाह तआला के बारे में कोई पूछ ताछ मत करो जो वो करता है। लेकिन उनके बारे में (लोगों के बारे में) पूछा जाएगा।

📗 **क़ुराने करीम – आयात नंबर - २३।**

तो अल्लाह तआला ने जो क़ानून बनाया है, इंसान उस का बंदा और गुलाम है उस को उसे मानना पडेगा।

ओर अल्लाह तआला उसे लाज़मी नहीं बनाता जो हम जानते हो या न जानते हो।

वाक़ई ये सहीह हदीस में है के

मछली खाने के लिए हलाल है।

नबि सलल्लाहु अलैही वसल्लम ने फ़रमाया,

"दो मरे हुवे जानवर खाने के लिए हलाल हैं,

वोह मछली और टिड्डी है।"

📗 **अहमद, इब्ने माजाह।**

हालाँकि इसकी हलाल होने की वजह जानने की इजाज़त है।

ओर इस्को ज़बह न करने की ये वजह है के मरी हुई मछली प्योर (शुद्ध-पाक) होती है,

क्यूँकि उसमे बेहता खून नहीं होता है।

घर में पाले जाने वाले जानवर या दुसरे जानवर को ज़बह करना पड़ता है, इस्लामिक शरीयत के मुताबिक़, ताकि वो हलाल हो खाने के लिये,

इस्लिये के उन में बहनेवाला खून है।

जानवर ईम्प्योर (अशुद्ध) होते हैं क्यूँ की उनमे मर जाने के बाद भी खून रहता है।बलके खून और उस के बैक्टेरिया पुरे गोश्त में फेल जाते हैं इसलिए इस्लामिक शरीयत के मुताबिक़ वो (जब वो ज़िंदा होते है) ज़बह करे बगैर प्योर (शुद्ध-पाक) नहीं होते।

इबने क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने फ़रमाया-

मरे हुवे जानवर को खाना मना फ़रमाया क्युकी उसमे बेहता पानी, पाख़ाना और नुक़सानदेह खून होता है।

ईस तरह से ज़बह करने की ये वजह है की उसे खाने के लिए हलाल किया जाये क्युकी इस से खून दूर हो जाता है।

इस मौत (हलाल किया हुआ) मना नहीं है क्युकी ये मौत हलाल करने (काटने, ज़बह करने) से होती है।

जब्कि उसे उसी तरह से ज़बह किया जाता है, इस्लामिक शरीयत के मुताबिक़ ज़बह करने से उसमे से खून दूर किया जाता है, तो इस तरह से ऐसी मौत से मना नहीं है।

ओर (मछली में) ये शर्त भी नहीं के इस तरह खाने के लिए हलाल बनाने के लिए उसे ज़बह किया जाए और ऐसा ही टिड्डी का मुआमला भी है। इस लिए जिस में बेहता खून नहीं है वो मर् जाने के बाद हराम नहीं है।

बुमले, नेवते और मछली भी उसी तरह ही है।

जो असली खून की निशानी ये है के वह निकलने के बाद जम जाता है और काला हो जाता है। मछली वगैरह का खून न जमता है न काला होता है।

والله اعلم بالصواب

♦ सूद (इंटरेस्ट) हराम होने की हिकमतें।

अस्सवाल

➢ इस्लाम में सूद (इंटरेस्ट) क्यों हराम है? ऐसा हमारे ब'आज गैर मुस्लिम भाई पूछते हैं उनको क्या जवाब दिया जाये ? और ब'आज मुसलमान जिनका आख़िरत पर इमान कमज़ोर है और इसमें फंसे है उनको भी उसके दुनयावी नुक़सानात बताना है ताके वह बचे।

➢ लिहाज़ा उसकी हिकमते और नुक़सानात बताने की गुज़ारिश।

अलजवाब

حامدا و مصليا و مسلما

सूद के हराम होने की बहोत सी हिकमतें हैं और उसके शुमार दुनयावी नुक़सानात हैं जिन में से चंद हसबे ज़ैल है.

१। बिला मेहनत नफा लेना।

इसमें किसी से नफा (प्रॉफिट) लेने का हक़ नहीं क्यों के पैसे उधार देने वाले की मेहनत नहीं होती, रहन (गिरवी) लेकर देने में रिस्क भी नहीं और देने वाले का पैसा घाटा (लोस्स) बिलकुल नहीं है लिहाज़ा नफा किस चीज़ का?

२। ज़ुल्म का गुनाह है।

क्यों के अगर किसी ने उधार बीमारी के इलाज या पढ़ाई (एजुकेशन) या ज़िन्दगी गुजारने के ज़रूरी सामन वगैरह ऐसी ज़रूरत के लिए लिया जिसमे उन पैसों से वह कुछ भी रूपया नहीं कमायेगा तो ऐसे शख्स को हमें उन पैसों को मालिक बना कर या अपनी हैसियत के मुताबिक़ उसकी मदद करनी चाहिए यह इंसानियत का तक़ाज़ह है फिर भी उस से नफा लेना उस पर ज़ुल्म है.

३।   बेरहम और सख्त दिली हो जाना।

ऊपर बताया उस तरह की हालत और ज़रूरत में भी उस बिला नफे के उधार न देना उस पर रहम न खाना है और उससे मजबूरी का फ़ायदाः उठा कर फिक्स्ड नफा लेने से दिल सख्त हो जाता है.

४।   गरीब को और गरीब बना देना।

किसी गरीब ने अपनी ग़ुरबत की वजह से अपनी ज़रूरत पूरी करने उधार लिया और उसने कुछ भी न कमाया फिर भी उससे नफा लेना उसको ज़ियादह गरीब बना देना है उसकी चीज़ें बिकवा देना है

५।   खुद गरज़ हो जाना।

उधार और क़र्ज़ मांगने वाले अक्सर रिश्तेदार पडोसी या दोस्त होते हैं उनकी इन ताल्लुक़ की वजह से मदद करनी चाहिए या कम से कम बिला सूद लिए क़र्ज़ः देना चाहिए फिर भी नफा लेना यह खुद गर्ज़ी और मफाद परस्ती और बे शर्मी है.

६।   इंसान की तरक़्क़ी में रुकावट और तिजारत में आगे न बढ़ने देना।

जिस ने कारोबार और धंधे के लिए क़र्ज़ः लिया है उससे देने की तारीख ही से फिक्स्ड नफा लेना उसका खून चूसा (सोसन करना) है क्यों के उसका कारोबार पहले ही दिन से शुरू नहीं हो जायेगा जब

शुरू होगा तब शुरू के चंद महीनो ही में वह नफा कमाने वाला नहीं बन जायेगा जब नफा कमाने लगेगा तो यह ज़रूरी नहीं के आप को फिक्स नफा दे उसके बाद भी उसके पास नफा बचेगा उसको कारोबार में नफा नहीं भी मिल सकता है बल्कि नुकसान भी हो सकता है,

इतनी सारी एहतमलात (पॉसिबिलिटीज) और नफा न मिलने की सुरते हैं इसके बा वजूद उसको पहले दिन और हर माहिने नफा न मिले फिर भी उससे हर दिन का फिक्स्ड नफा लेना यह अक्ल और हिसाब के भी खिलाफ है वह सूद चुकाने में ही कारोबार छोड़ देगा और ताजिर (बिजनेसमैन) के बजाये मज़दूर बन जायेगा.

७। फ़ुज़ूल खर्ची करना।

हर वह शख्स जिस की कमाई बिला मेहनत की या हराम की होगी वह फ़ुज़ूल खर्ची-अपने माल को रस्मो रिवाज, दिख्लावे में और बगैर फ़ायदा के कामो में खूब उड़ाएगा.

८। निकम्मा-सुस्त हो जाना।

जिस को नफा बगैर मेहनत के बैठे बैठे कमाने की आदत पद जाती है वह अपना हुनर-फन भूल जाता है फिर उस से मेहनत का काम नहीं होता उस की तबीयत सुस्त हो जाती है।

९। महंगाई बढ़ना।

बड़े बड़े ताजीर को बड़ी बड़ी लोन मिलती है, छोटे ताजिर को बड़ी लोन नहीं मिलती, इसलिए बड़े ताजिर बाजार से पूरा माल उठा लेता है फिर अपनी मनमानी क़ीमत से बेचते है क्यों उस को इतना लम्बा फिक्स नफा-सूद चुकाना है इसलिए मंहगा बेचना ज़रूरी हो जाता है।

१०। बख़ील-कंजूस हो जाना।

क्यों के उस को दुन्या, मुल्क ,शहर के सब से ज़यादा मालदार आदमी में जो नंबर हासिल है वह उस ऊँचे नंबर से निचे नंबर पर न आ जाये इसलिए ये इतने मालदार ज़यादा बैंक बेलेन्स के मालिक होने के बावजूद लम्बी रक़म कभी भी हॉस्पिटल या गरीबो के फ़ायदा के लिए नहीं देते।

११। टेंशन।

सुदी क़र्ज़ अपने घर के इख़राजात के साथ साथ चुकाने का इतना टेंशन होता है के आदमी की नींद आना मुश्किल हो जाता है.दिल का सुकून खत्म हो जाता है।

१२। पागलपन।

सुदी क़र्ज़ अक्सर लोग आसानी से अदा नहीं कर पाते उस के अदा करने में इतनी कोशिश और मेहनत और लोड बर्दाश्त करता है जिस की वजह से वह दिमागी मरीज़ या पागल जैसा हो जाता है.

१३। ख़ुदकुशी।

जब सुदी क़र्ज़ चूका नहीं पाता तो टेंशन टेंशन में ख़ुदकुशी कर लेता है जिस के वाक़िआत अख़बार में आते रहते है.

१४। बे वतन हो जाना।

लम्बा सुदी क़र्ज़ चुकाना बाज़ मर्तबा इतना मुश्किल हो जाता है के इंसान अपना कारोबार बंद कर देता है-पार्टी उड़ा देता है या अपना शहर सूबा या मुल्क ही छोड़ कर अपने घरवालों से दूर भाग जाता है जिस के ताज़ा वाक़िआत मीडिया में आ चुके है.

१५। टैक्स में इज़ाफ़ा ही होते रहना।

इंडिया में मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ चीज़ों पर जिस पर पेहले टैक्स नहीं लिया जाता था अब लिया जा रहा है, उस की १ वजह ये भी है के इंडिया पर दूसरे मुल्क पर इतना क़र्ज़ा है के जिस के अदा करने के लिए जी. एस. टी. के ज़रिये टैक्स में इज़ाफ़ा और पेट्रोल पर जी. एस. टी. से भी ज़यादा टेक्स डाला गया है।

والله اعلم بالصواب

♦ इस्लाम तलवार के ज़ोर से फेला है ?

अस्सवाल

➢ क्या सालों से इस्लाम के बारे नॉन मुस्लिम ये कहते आये है के वह तलवार के ज़ोर से फैला है लोगों को ज़बरदस्ती मार मार के मुसलमान बनाया गया है ये ऐतराज़ सहीह है?

अलजवाब

حامدا و مصليا و مسلما

बाज़ नॉन मुस्लिमों का ख्याल है के इस्लाम की इशा'त में तलवार के ज़ोर से ज़्यादह काम लिया गया है और उसके लिए दलील में वोह वाक़िआते जंग पेश करते है बादशाहों ने किस क़दर खूनरेज़िया की है ।

में उन से पूछता हुँ के ये कोई आक़िल नहीं केह सकता है के जंग हर हाल में अच्छा होने के खिलाफ है। आज अपने को बाअदब केहने वाली क़ौमे भी ज़रुरत के मौक़े पर जंग करती है।

म'आलूम हुवा की हर वक़्त ज़रूरी लडाई करना तहज़ीब व कल्चर के ऐतबार से जाइज़ है। बस अब में ज़ालिम सलातीन की तो तरफ़दारी नहीं करता। अलबत्ता खुलफाए राशिदीन की बाबत में

दावे से केहता हुँ की उन्हों ने कमज़ोर बुनियाद पर कभी जंग नहीं की। किसी मज़बूत सबब की वजह से ही वह लडाई करते थे और लडाई के मुताल्लिक़ इस्लामी क़ानून अगर मुख़ालिफ़ीन की नज़र से गुज़रता तो कभी ये लफ्ज़ जुबां से नहीं निकालते इस्लाम बज़ोर तलवार फैला है। क़वानीन जंग इस्लाम ने बहोत से बतलाए है। मगर में इस वक़्त एक मुख़्तसर क़ानून बयान करता हूं।

१ पहला जवाब।

कानून ए इस्लाम।

इस्लाम का मस'ला है और खुलफाए राशिदीन का उसपर हमेशा अमल दर रहा है के अगर कोई शख्स मुक़ाबले के वक़्त तुम्हारे बाप कॉं, तुम्हारे बेटे कॉं, तुम्हारे भाई कॉं, गरज़ सब मुतल्लिक़ीन को क़त्ल कर डाले और अरसे तक खुन रेज़ी करता रहै, फिर किसी के क़ाबू आ जावे और तुम उसे बदला लेना चाहो और वह जुबान से "लाइलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर-रसूलुल्लाह" कह दे तो अल्लाह का हुक्म है के उसको फ़ौरन छोड़ दो, अगरचे तुम को कामिल यक़ीन हो, के उसने जान के खौफ से ही कहा है और दिल से इस्लाम नहीं लाया है, तब भी फ़ौरन उस से तलवार उठा लो, वर्ना अगर तुमने उसे मारा तो तुम जहन्नम में जाओंगे, अगरचे ये भी खतराः हो के

ये उस वक़्त जान बचा कर फ़ौरन तुम को क़त्ल करेगा, जो कुछ चाहे, अब उस का क़त्ल करना हरगिज़ जाइज़ नहि।

जिस मज़हब ने इतनी बड़ी ढ़ाल दूसरों के हाथो में दे दी है, अब उसके बारे में कोई केह सकता है के बजरे तलवार फैला है? यक़ीन जानिये इस क़ानून पर हमारे अगले नेक लोग पूरी तरह अमल करते थे।

📗 **अशरफुल जवाब सफा १४१,१४२।**

२ दूसरा जवाब।

भारत की मिसाल।

लोग इस्लाम को बदनाम करते हैं के वह तलवार के ज़ोर से फेला है। खुदा की क़सम बिलकुल गलत है। अगर लोगों को तलवार के ज़ोर से मुसलमान किया करते तो आज भारत में जहाँ इस्लामी हुकूमत ६०० बरस तक रही है, एक भी हिन्दू बाक़ी नहीं रेहता ।

३ तीसरा जवाब

मौलाना मुहम्मद क़ासिम साहब ननोतवी (रहमतुल्लाहि अलैहि) का जवाब इस ऐतेराज़ के मुता'अल्लिक़ ये है के अगर इस्लाम तलवार के ज़ोर से फेला है, तो ये बतलाओ के वह तलवार चलानेवाले

कहाँ से आये थे? क्यूंकि तलवार खुद से तो चल नहीं सकती थी जिन लोगों ने सब से पहले तलवार चलायी है, यक़ीनन वह तलवार से मुसलमान नहीं हुवे थे। क्यूँकि उनसे पहले तलवार चलने वाला कोई था ही नहि, तो साबित हो गया के इस्लाम तलवार से नहीं फैला।

अशरफुल जवाब १४१,१४२।

४ चौथा जवाब।

मदीने में इस्लाम।

तारिख से ये साबित है के जिहाद मदीना मुनव्वराह में आकर शुरू हुवा और मदीना वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ लाने से पहले ही ज़्यादह तर मुस्लमान हो चुके थे। आखीर उनको किस तलवार ने मुसलमान किया था?

५ पांचवा जवाब।

मकका में जिहाद न था।

मकका मुअज़्ज़मा में जो के सो आदमी हुवे और कुफ़्फ़ारों के हाथों से तकलीफ़ें बर्दाश्त करते रह, वह किस तलवार से मुस्लमान हुवे थे।बलके तलवार और दूसरे हथयारों से इस्लाम छुडाना और काफिर बनाना चाहा तो भी न बना पाये । पता चला न इस्लाम तलवार से फेलता है न कुफ्र (कोई भी मज़हब)

६ छठा जवाब।

मान लो के तलवार के डर से मुसलमान हुवे थे तो तलवार तो हर वक़्त गर्दन पर रह्ती नहीं है जब तलवार हट गई तो वापस इस्लाम छोड़ने से किस ने रोका था बलके नस्लों तक इस्लाम आप के केहने के मुताबिक़ सखत मज़हब है फिर भी कैसे बाक़ी रहा?

📗 अशरफूल जवाब ४२ से माखुज ।

७ सातवा जवाब।

हब्शा मे इस्लाम।

फिर हिजरते मदीना मुनव्वरह से पहले बाज़ सहाबा (रज़ियअल्लाहु अन्हुम) ने हब्शा की तरफ़ हिजरत की है और वहा कुफ्फार ए क़ुरैश के साथ मुसलमानो का मुनाज़रा डिबेट हुवी और नज्जाशी हब्शाह के बादशाह ने हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब (रज़िअल्लाहु अन्हु) की जुबान से क़ुरान शरीफ़ सुन कर बेतहशा रोना शूरू किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और क़ुरान शरीफ की हक्कानियत - सच्चाई की गवाही दी। और इस्लाम क़ुबूल किया। इस पर किस की तलवार चली थी?

इसी तरह सेंकडा वाक़ियात तारीख- इतिहास में मौजूद है जिस से साबित है के इस्लाम महज अपनी हक्कानियात, अखलाक, इन्साफ, इन्सानियत की हमदर्दी और उन के साथ एक जैसा सुलूक और उसकी बेहतरीन तालीम से फैला है। यह सब से अहम वजह है।

८ आंठवा जवाब।

इस्लाम नाम है दिल से एक अल्लाह ही को खुदा और ईश्वर मानने का और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैयगंबर- अंतिम दुत्त-रुशी मानने का अगर दिल से ऐसा न माने और सिरफ ज़बान से ही कलमा पढहे तो वह अल्लाह के नज़दिक मुसलमान नहीं बल्कि वो मुनाफिक-धोके बाज़ है ।

तलवार ज़बान पर चल शक्ति है दिल पर नहीं। जबरदस्ती कर के ज़बान बदल सकते हैं।

📗 **अशरफुल जवाब सफा ४३ जबाब ८ के इजाफे के साथ ।**

९ नवां जवाब।

खास तौर पर मक्का में पहले मुसलमान होने वाली अरब की क़ौम जो जंग और लड़ाई में पूरी दुन्या में मशहूर थी वह कभी और किसी तरह तलवार के खौफ से इस्लाम को क़ुबूल न कर सकती थी। उन के नज़दीक लड़ना मरना म'अमूली बात थी। मगर दब कर

दीन का बदलना सखत ऐब है, वह हरगीज़ तलवार के खौफ से इस्लाम नहीं ला सकते थे।

इस्लाम में जिहाद का हुक्म क्यों?

इस पर शायद ये सवाल हो के फिर जिहाद किस लिए शरी'अत में शुरू हुवा? तो खूब समज लो के जिहाद हिफाज़त ए इस्लाम के लिए शुरू हुवा न के इस्लाम फेलने के लिए और इन दोनों में बड़ा फ़र्क़ है, लोग इस फ़र्क़ को न समजने की वजह से ग़लती में पड़े हुवे है।

१० दसवां जवाब।

कभी पूरी दुन्या के मुल्कों में हर महीने हज़ारों मुसलमान हो रहे है मशहूर लोगों की खबर और इस्लाम लाने की वजह मीडिया में आती रेहती है कोई भी तलवार या बन्दूक़ के दर से मुस्लमान नहीं हो रहा ये बात अपनी आँखों से देख लो और कानों से सुन लो।और इस ऐतराज़ पर अपनी ज़बान बंद कर लो और हाथ रोक लो।

📗 **अशरफुल जवाब सफा ४३ जवाब १० के इज़ाफ़े के साथ्।**

इस्लाम तलवार के ज़ोर से फैला नहीं है इस बात के और भी जवाबात है मज़मून लम्बा और उस के ५ परत हो गए इस लिए इसी १० जवाब पर बस करता हु।

والله اعلم بالصواب

♦ खतना पर ऐतराज के जवाबात और मेडिकल फायदे।

अस्सवाल

➢ खतना के बारे में नॉन मुस्लिम ये ऐतराज आपत्ति जताते है के ईश्वर ने जैसा पैदा किया था वैसा ही रहने देना चाहिए ये काट छांट नही करनी चाहिए ये फितरत कुदरती रूप के खिलाफ है। उन को क्या जवाब दिया जाए।

अलजवाब

حامدا و مصليا و مسلما

उन को ये जवाब दिया जाए के बच्चा मां के पेट से नाफ की नाल,सर के बाल,नाखून साथ लेकर आता है इन चीजों को क्यों काट के अलग कर देते हो?

इसी तरह मां के पेट से बच्चा दांत लेकर नही आता है पैदाइशी असली रूप में लाने के लिए उसे भी तोड़ देने चाहिए।

इस्लाम फितरी प्राकृतिक मजहब है इस में हर हुक्म और आदेश के फायदे है खतना में उन्ही में से एक है उस के फायदे की एक रिपोर्ट जो २०१५ दी गई थी पेश की जाती है।

मेडिकल साइंस ने खतना के फायदे बताए हैं।

न्यू यॉर्क (न्यूज डेस्क) ने कहा के मुसलमान सदियों से धार्मिक आदेशों के अनुपालन में बच्चों का खतना करते रहे हैं, लेकिन सदियों से इसे नकारने के बाद आधुनिक वैज्ञानिक शोध सामने आने के बाद पश्चिम को आखिरकार खतना के महत्व को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

सबसे लंबे शोध के पूरा होने के बाद, पश्चिमी वैज्ञानिकों ने अचानक खतना के महत्व को इतना महसूस किया है कि प्रमुख अमेरिकी स्वास्थ्य संस्थान, यू.एस. रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र (सीडीसी) ने दिसंबर में जारी इशारों जेडदिशा-निर्देशों के अर्जी में सभी लड़कों के लिए खतना अनिवार्य करने की सिफारिश की है।

इस संगठन का कहना है कि खतना बच्चों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यौन संचारित रोगों और पेनाइल कैंसर के खतरों से बचाता है। संगठन का यह भी कहना है कि यदि चमड़ी का खतना नहीं किया जाता है, तो बैक्टीरिया और अन्य रोगाणु चमड़ी (त्वचा में फैली हुई चमड़ी जो कट जाती है) में जमा हो जाते हैं और बीमारियों का कारण बनते हैं, और कभी-कभी त्वचा भी खराब हो जाती है, जिसके माध्यम से खतरनाक रोगाणु शरीर में प्रवेश करते हैं। और भयानक

बीमारियों का कारण बनते हैं। संगठन ने एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी बताया है कि जिन पुरुषों का खतना नहीं हुआ है, वे भी अपने जीवनसाथी को चमड़ी में मौजूद कीटाणुओं को स्थानांतरित _ट्रांसफर करके सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकते हैं। कुछ तिमाहियों से कई आपत्तियों और विरोध के बावजूद, एजेंसी ने सीडीसी से कहा है कि खतना के लाभ इतने स्पष्ट हैं कि अब उन्हें अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

والله اعلم بالصواب

♦ चेहरे के परदे का क़ुरान हदीस से सुबूत और फ़ायदा।

अस्सवाल

- मे शरीया पर्दा करती हूं, क्यूँ की दीनी मदरसा की तालिबा- स्टूडेंट हूं, और मुझे परेशानी जब होती हे जब में किसी तक़रीब- फंक्शन वग़ैरा में मजबुरन जाती हूँ तो अपना बुका नहीं उतारती, जिसकी वजह से लोग मुझे बुर्का उतारने पर मजबूर करते हे,
- वो कहते हे की : परदे का ज़िकर तो क़ुरान में नहीं आया, बस ओढ़नी का ज़िकर आया हे।

- हालाँकि उन्होंने पूरा मफ़हूम और उसकी तफ़्सीर वगैरह नहीं पढ़ी हे।
- बस सिर्फ ये कहते हैं के : “जब इस्लाम ने चादर का ज़िकर किया हे तो तुम इतना पर्दा क्यूँ करती हो ?”
- और वो ये भी कहते हैं के : “इस्लाम ने इतनी सख्ती नहीं रखी, जीतनी आप करती हो।”
- वो कहते हैं के : “चेहरा, हाथ और पाँव वगैरह खुले रहे”
- हालाँकि में उन से केहती हूँ के उसका ज़िकर तो सिर्फ नमाज़ में आया हे, परदे में नहीं।”
- और आजकल इस फ़ितने के दौर में तो औरत पर ये लाज़िम होता हे के वो मुक़म्मल पर्दा करे बल्कि अपना चेहरा, हाथ वगैरह भी छुपाये।
- परदे के मुता’ल्लिक़ आप मुझे ज़रा तफसील से बता दीजिये ताकि उन लोगों के इल्म में ये बात आ जाए के “शरई पर्दा” कहते किसे हैं ? और कितना करना चाहिए ?

अलजवाब

حامدا و مصليا و مسلما

आप के ख़यालात बहोत सहीह है, औरत को चेहरा का पर्दा लाजिम हे, क्यूँकि गन्दी और शहवानी नज़रें उसी पर पड़ती हे। चेहरा, हाथ और पाँव औरत का सतर नहीं, यानी नमाज़ में उन आ’जा का छुपाना ज़रूरी नहीं, लेकिन गन्दी नज़रों से उन आ’जा का हत्तल इमकान छुपाना ज़रूरी हे।

कुरआने करीमसे सुबूत :

وَقَرْنَ فِيْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى ﴿الْاَحْزَاب : ٣٣﴾

“अपने घरों में जमी बैठी रहें और पुराने ज़माना ए जाहिलीययत के दस्तूर के मुताबिक (बे परदा, बनसंवर) कर न फिरे।

क़ुरान हकिम : सूरह अल-अहज़ाब : ३३।

और फ़रमाया :

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ﴿الْاَحْزَاب : ٥٩﴾

क्या नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) आप अपनी बीवीयों से, अपनी साहबज़ादियों से और दुसरे मुसलमान की बीवीयों को भी कह दीजिये के (सर से) निचे कर लिया करे। (अपने चेहरे के ऊपर) थोड़ी सी अपनी चादरे।

(यानी चादर का कुछ हिस्सा बतोरे घूँघट चेहरे पर लटकाया करें ताकि सर के साथ चेहरा भी छूप जाए।) उसे जल्दी पहचान ली जाया करेगी। तो तकलीफ न द जाया करेगी।

(बयानुल क़ुरान)

मतलब ये के बांडिया-लोंड़ियाँ खुले सर फिरती हे और शरी'अत ने भी उन पर चेहरा छुपाना लाजिम नहीं किया और शरीर याने बुरे लोग बांदियों को छेड़ा करते हे, तो आज़ाद और शरीफ ख़वातीन पर लाजिम हे के वो सर और चेहरा छुपा लिया करे, इस तरह बासहूलत उनकी पहचान हो जाया करेगी और शरीर-बुरे लोग जो शरीफ और बा इज़्ज़त ख़वातीन को छेड़ने की हिम्मत नहीं करते वो उनको भी नहीं छेड़ेंगे और उनकी तकलीफ़ों से शरीफ ख़वातीन महफ़ूज़ रहेगी।

क़ाबिले तवज्जुह ये हे के क़ुरान शरीफ ने पर्दा और नक़ाब को शरीअत और इज़्ज़त की अलामत क़रार दिया हे और बेपर्दगी और बे हिज़ाबी को उनकी अलामत क़रार दी हे जो इज़्ज़त व शराफत से महरूम हो। (मआ’ज़ल्लाह)

ओर फ़रमाया :

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوهُنَّ مِن وَّرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ

قُلُوبِهِنَّ ﴿الأحزاب : ٥٣﴾

यानी जब तुम पैगम्बर अ.स. की बीवीयों से कोई सामान माँगने जाओ तो उनसे वो सामान परदे के बहार से माँगा करो, ये तरीक़ा तुम्हारे दिलों और उनके दिलों के पाक रहने का बेह्तरीन जरिया हे।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवीयों और सहाबा रदी अल्लाहु अन्हुम से ज़्यादा किन की निगाह और निय्यत पाक हो सकती है! जब उन को फेस टू फेस बात करने की इजाज़त नहीं तो हमें कैसे इजाज़त हो सकती है।

अहादिस से सुबूत :

आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इर्शाद हे : औरतों को अपने घर से बहार निकलने का हक़ नहीं हे लेकिन उस वक़्त के वो मजबूर हो जाए।

📘 **(तबरानी)**

📘 **आपके मसाईल और उनका हल और फतावा रहीमिया १०/८३ से माखुज।**

والله اعلم بالصواب

♦ नक़ाब वाले बुर्के और परदह के फायदे।

अस्सवाल

➢ किसी स्कूल का प्रिंसिपल परदा करने से रोकें तो क्या करना चाहिए?

अलजवाब

حامدا و مصلیا و مسلما

भारतीय संविधान की कलाम 25 हर एक को हर जगह अपनी मजहबी पहचान पर अमल करने की इजाज़त देता है लिहाज़ा प्रिंसिपल से क़ानूनी जंग लड़ना ज़रूरी होगा पर्दा छोड़ने की इजाज़त न होगी।

पर्दा और नकाब वाला बुर्का पहनने के ४० फायदे।

१। गैर मर्द की बुरी निगाह से हिफ़ाज़त।

२। गलत त'अल्लुक़ात पैदा होने से हिफ़ाज़त।

३। धुप से हिफ़ाज़त।

४। धूल-मट्टी से हिफ़ाज़त

५ । परदह ठंडी शर्दी से भी बचाता है।

६। सूरज की किरणो से रंग की हिफ़ाज़त।

७। बेक्टेरिआ -(जरासीम-कीटाणु) से हिफ़ाज़त।

८। प्रदुषण (पोल्लुशण) धुवें से हिफ़ाज़त।

९। बद्बू से हिफ़ाज़त

१०। किसी की नज़र लगकर बीमार होने से हिफ़ाज़त

११। शरीफ होने की अलामत (निशानी)।

१२। इज़्ज़तदार होने की अलामत।

१३। मुआ'शराह (समाज) का बदकारी से पाक होना और उसकी हिफ़ाज़त।

१४। अल्लाह की मुहब्बत का मीलना।

१५। रसूल صلى الله عليه وسلم की शफ़ाअत का नसीब होना।

१६। परदह पाकीजगी है।

१७। परदह सतर है।

१८। परदह तक़्वा है।

१९। परदह ईमान है।

२०। परदह निफ़ाक़ से बचाता है।

२१। परदह ऐसा शरई हुक्म है जिसमें दिन और दुनिया के फायदे हैं।

२२। परदह निस्वानी हुस्न का मुहाफ़िज़ है।

२३। परदह दिलों की पाकीजगी और तहारत का ज़रियाः है।

२४। परदह औरत की फिटरी हया का तक़ाज़ा है।

२५। परदह छोटे बड़े काई गुनाह की रूकावट है।

२६। परदह औरत के लिए अफ़ज़ल तरीन अमल में से है।

२७। परदह करने वाली औरत अपने रब से ज़ियादह क़रीब है।

२८। परदह शैतान और उसके मकर से बचाव का ज़रियाः है।

२९। परदह तक़वा का लिबास, और हया की दलील है।

३०। परदह औरत को फैशन की शरारत से मेहफ़ूज़ रख्ता है।

३१। बेपर्दगी के हराम ख्वाईश-गुनाह से बचने की वजह से जन्नत की बशारत।

३२। परदह लिबास और ज़ेवर की रियाकारी से बचाता है।

३३। परदह में चैंन, हार किसी चोर के तोड़ जाने से महफ़ूज़ रेह्ते है।

३४। परदह से अंदर का लीबास मैला नहीं होता।

३५। परदह करने वाली औरत बेपरदा औरत के मुक़ाबले में अपने आप को महफूज (सेफ) मह्सूस करती है।

३६। परदह करने से मख्खी और मच्छर परेशांन नहीं करते।

३७। परदह की वजह से कोई सताए तो सब्र जिस का सवाब बे हिसाब मिलता है।

३८। परदह दीनदार होने की अलामत-निशानी है।

३९। परदह अज़्वाजे मुतह्हरात-हुज़ूर सलल्लाहु अलय्हि वसल्लम की पाक बीवियां की सुन्नत है।

४०। परदह कर के गुनाह से बचनेवाली औरत का खात्मह इमांन पर होता है।

والله اعلم بالصواب